

GOVERNMENT PREMISES EVICTION) AMENDMENT BILL—contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Sardar Swaran Singh on the 22nd of August:

"That the Bill further to amend the Government Premises (Eviction) Act, 1950, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

Shri Kamath (Hoshangabad): Sir, may I invite your attention to the fact that out of the total of ten hours allotted for the consideration and passing of this Bill, only one hour and ten minutes have been taken so far. We have still got eight hours and 45 minutes for this Bill.

Mr. Speaker: What is it that the hon. Member wants?

Shri Kamath: Yesterday, I got the impression from your remarks that you wanted to expedite this Bill.

Mr. Speaker: I am always anxious to expedite any Bill. It should be consistent with the time allotted.

Shri Kamath: Ten hours have been allotted.

Mr. Speaker: I will ask the hon. Member to speak for fifteen minutes. I do not want to shorten the time that was allotted. If there are a number of hon. Members who are prepared to speak, I will certainly give time. I cannot have a consolidated fund for time so that whatever balance is left out of this item can be utilised for some other work, I found that many hon. Members were not interested and a few only spoke on it. I, therefore, said that if one more hour is allotted it may be enough. I am not going to hustle anybody.

Shri Kamath: Sir, you have misunderstood me. When Pandit Thakur Das Bhargava yesterday said that he wanted to make a one-hour speech; your remarks created the impression that you wanted to hustle matters, though you did not perhaps mean to hustle.

Mr. Speaker: He started by saying that he had already spoken for one hour each on two occasions and on the third occasion also he wanted to speak for one hour. I thought he was going to repeat the same thing; nothing more than that. I am not going to hustle any hon. Member. He may speak leisurely. I will give opportunity to all hon. Members.

Shri M. K. Moitra (Calcutta—North-Weit): Sir, yesterday, from the Second Five Year Plan I showed the principles that the Government have laid down for acquiring slums and improving them. The points that the Government should pay attention to in improving the slums are, that there should be minimum dislocation of slum dwellers and to re-house them at or near the existing sites so that they may not be uprooted from their place of employment. This is the yardstick with which this measure will have to be judged. And, if we apply this, we find that these principles have been flagrantly flouted in this Bill.

What does the Bill say? The Bill says that in beautiful cities there must not be slums; the slum dwellers should be removed from the precincts of the city to a distant place, no matter whether their economic life is dislocated or not. Not only that. The Government have extended the scope of this Bill, and the Government, in this Bill, have proposed that even the local authorities will have the power to requisition premises for their use by uprooting these poor dwellers.

Sir, what is the necessity of crying from house-tops that the Government have adopted such measures for improvement of slums, for the comforts of poor artisans, cobblers, vegetable dealers and such other poor workers, and then coming before the House and saying that to make the city beautiful the Government will drive these poor artisans, poor workers, poor refugees, far beyond the precincts of the city? This appears to be curious.

The Select Committee heard evidences of the following associations: the All India Refugee Association; the Jawahar Nagar Refugee Quarters' Association, the Self-Rehabilitated (D.Ps) Association; the Jhandewala 'E' Old Patel Nager Refugee Association; the representatives of the residents of Delhi-Ajmere Gate area and such other organisations. If you open page 13 of the Report of the Select Committee, Sir, you will find that the Select Committee decided that the evidence tendered before it should be laid before the House *in extenso*. But, Sir, surprisingly enough, if you refer to page 19 you will find that all of a sudden the Select Committee has reversed its own decision and has suggested that the evidences need not be laid before the House. I cannot understand what prevented the Select Committee or the Government from placing the evidence tendered by these poor dwellers, these poor refugees, these poor workers, who were going to be uprooted from these areas, who were going to be affected, before the Members of this House.

Mr. Speaker: Was that decision taken by the Select Committee?

Shri M. K. Moitra: Yes.

Mr. Speaker: If the hon. Member had only written to me, I would have considered the matter.

Shri M. K. Moitra: The Select Committee sat before I was elected a Member of this House.

Mr. Speaker: Before this Bill is taken up, it is open to any hon. Member to say that he wants to have the evidence. I would have certainly considered whether the evidence ought to be printed in the interest of proper debate.

Shri M. K. Moitra: On page 19 of the Report you will find, Sir, the Select Committee decided that the same need not be laid before the House. But, on page 13 you will see that the Select Committee decided previously that the evidence should be placed before the House.

Mr. Speaker: That is all right. But the Select Committee members have not taken away the evidence; they have given it to the office here. If any hon. Member wanted to peruse it, I would have looked into the matter and given the evidence if I considered so.

Shri M. K. Moitra: Had the evidence been placed before the House, it would have enabled Members to come to a correct decision and to know what the refugees, who are the persons going to be affected, had to say about the Bill.

Mr. Speaker: Why did not the hon. Member ask for it? He saw it, evidently, only this morning.

Shri M. K. Moitra: Sir, the scope of this Bill, as I said, has been extended. The Bill has extended the scope of acquiring places. First of all it was the Government which could acquire the places. Now it has been stated that not only the Delhi Improvement Trust but even the local authorities will be able to acquire these places. The field for acquisition has been extended even to lands. This will create difficulties for the poor dwellers who live on those places.

It has been said that the Minister has given an assurance that before evicting these people alternative accommodation for them would be found. But the Minister in giving this assurance has never said where this alternative accommodation would be found. The Minister has never said whether the alternative accommodation would be found near the sites where those people live or whether they would be shunted out to far distant places where their economic life would be dislocated. Further, we are finding that every morning the Ministers are giving assurances and the number of assurances has gone to such a dimension that it is difficult for the Ministers themselves to remember what assurances they have given. If they can give an assurance, what is the difficulty in putting that in the statute-book?

[Shri M. K. Moitra]

That would have allayed the fears of these poor people. In the past such assurances were given and they had been broken. Therefore, these poor people cannot remain content with more assurances.

Sir, it has been said that the Minister would set up an Advisory Committee. The Minister has said that the Advisory Committee would be able to control the policies pursued by the Delhi Improvement Trust. The Delhi Improvement Trust have not got a very decent past and the working of the Delhi Improvement Trust was enquired into by a committee over which a man like Shri G. D. Birla presided. Trenchant criticisms were made against the working of this body. So, the Minister took cognizance of this fact and said that an advisory committee would be set up. But where is the assurance that the Delhi Improvement Trust would convene a meeting of the advisory committee and allow that committee to function? If the Delhi Improvement Trust does not convene a meeting of the advisory committee, the advisory committee can never function. So, it all depends upon the sweet will of the Delhi Improvement Trust to call a meeting of the advisory committee. Further, there is no assurance that the decisions of the advisory committee will be binding on the Delhi Improvement Trust or any other local authority. If the Minister or the Government is really serious that the advisory committee should function, the Government should incorporate a clause in this Bill to the effect that arrangements would be made for the proper functioning of the advisory committee and that the decisions of the advisory committee would be binding either on the Delhi Improvement Trust or on the local authorities.

With these words, I will now appeal to the Minister and to the Government, in the name of humanity and in the name of the poor refugees, to withdraw this Bill. They should bring forward a new Bill in which

the principles that have been enunciated by the Government in the second Five Year Plan should be incorporated so that the schemes may be beneficial to the people at large.

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) :
मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। इस बिल में जो धारा अब जोड़ी जा रही है उसके अनुसार बहुत सारी जमीनें जो कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (दिल्ली सुधार न्यास) के अधीन हैं उनको सरलता पूर्वक खाली कराने का भी अधिकार सरकार को दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में कई बार सदन के सामने सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और यह भी आप भली भाँति जानते हैं कि इस विधेयक को इस सदन के सामने रखने के बाद दिल्ली के प्रतिनिधियों और अन्य वक्ताओं ने इससे उठने वाली बहुत सी दिक्कतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है और उसके परिणामस्वरूप यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) को भेजा गया। और अब यह वहाँ से हो कर वापिस आया है। इसमें विशेष कोई संशोधन नहीं हुआ है और जैसे का तैसा यह सदन के सामने आया है।

मैं इससे पहले कि इस विधेयक की स्वीकृति सदन के सदस्यों को देने की सलाह दूँ मैं कुछ बातों की ओर सदन के सदस्यों का और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली शुरु में जब कि बादशाह शाहजहाँ ने इसको बसाया था ६० हजार आदिमियों के लिये बसायी गयी थी और यह आदिस्ता आदिस्ता बढ़ कर अब करीब करीब २० लाख मनुष्यों की एक नगरी हो गई है। जब ६० हजार आदिमों इस दिल्ली में बसते थे तो इसकी खबरची दुनिया में बहुत ही मशहूर थी, यहाँ तक कि जो लोग बाहर से आते थे उन लोगों ने भी इसकी बहुत तारीफ की।

इसकी सुन्दरता की तारीफ़ की, और इसमें रहने वालों के रहनसहन के ढंग की भी बहुत तारीफ़ की। लेकिन जहाँ दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ती गई वहाँ इस बात का सही इन्तजाम न पहले की सरकार ने और न अब की सरकार ने किया कि जो दिल्ली की आबादी रोज़बरोज़ बढ़ती जा रही है उसे हम किस तरीक़े से बसायें। जिस प्रकार जिस हिस्से ने बढ़ना चाहा उस तरह उसको बढ़ने की इजाजत मिलती रही और नतीजा यह हुआ कि अगर १८६१ में इस दिल्ली नगर की आबादी २ लाख थी, तो १६०१ में वह २ लाख, ६ हजार हुई, १६११ में २ लाख और २५ हजार हुई, १६२१ में २ लाख, ४८ हजार, सन् १६३१ में ३ लाख, ४८ हजार १६४१ में ५ लाख, २२ हजार सन् १६५१ में ६ लाख, १५ हजार और अब जो, सन् १६६१ आने वाला है उसमें उसकी आबादी का अन्दाजा कम से कम २५ लाख का लगाया जा रहा है। आज हम सन् १६५६ में जब कि वह आधे से ज्यादा बीत चुका है यह बात कर रहे हैं और आज उसकी आबादी करीब करीब २० या २१ लाख की है। जरा आप अन्दाजा लगायें कि एक शहर जिसको कि ६० हजार के लिये बसाया गया हो और शुरू के सालों में उसकी जन संख्या हजारों के हिसाब से बढ़ी हो और पिछले १०, १२ सालों के अन्दर उस संख्या में तिगुनी, चौगुनी और पांचगुनी बढ़होती हुई हो, उस बढ़ते हुये शहर को किस तरीक़े से आबाद करना चाहिये, यह हमारे देखने की बात है। आज मूरत यह है कि दिल्ली के आप किसी निर्दोषता में चले जाइयें, आपको आम लोग इस तरह बसे हुये नज़र आयेंगे जिस तरह की कीड़े मकौड़े बसते हैं। हम स्लम किलिएरेंस (गंदी बस्ती हटाने) की बात करते हैं, हम अपने देश के सुधार की बात करते हैं, मगर दिल्ली में जो कि सारे देश भर की राजधानी है और जहाँ ३ सारे देश की क्रॉम बंटकर महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला करती है उस दिल्ली

नगर की कौसी खराब अवस्था है और वहाँ आम लोग किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मैं जरा आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त दिल्ली में करीब करीब ६०० कटरे हैं जिनको कि हम स्लम्स (गंदी बस्तियाँ) कहते हैं और उनके अन्दर ६०० से लेकर १२०० तक फ़ी एकड़ के अन्दर आबादी है जब कि तमाम दुनिया के सम्य देशों में एक एकड़ में २०० आदमी बसते हैं और हम भी इसे कबूल करते हैं कि एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा २०० आदमियों को बसने की इजाजत दी जानी चाहिये। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जरा यह तो सोचिये कि जहाँ २०० आदमियों को आबाद होना चाहिये वहाँ पर ६०० और ११०० आदमी बसते हैं और उसमें भी १ एकड़ के अन्दर जब हम प्रति एकड़ ६०० व्यक्तियों का विचार करते हैं तो उनमें वह जमीनें भी शामिल हैं जो छोटे छोटे बागीचे हैं, छोटे मदरसे हैं या छोटे शफ़ाखाने हैं और उनको लेकर ६०० और ११०० के करीब उसकी आबादी है। अगर इन जगहों को निकाल दिया जाये तो वहाँ पर आबादी करीब १५०० और १६०० फ़ी एकड़ हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक एकड़ जमीन में जहाँ २०० की इजाजत सारे सम्य देशों में हो, देश की राजधानी में अगर एक एकड़ के अन्दर १५०० या १४०० आदमी रहते हों तो आप स्वयं अन्दाजा कर सकते हैं कि उनका रहन सहन कैसा होगा। दिल्ली में ऐसे अनेकों ज़मींदोज़ मकान मौजूद हैं जहाँ पर २४ घंटे अंधेरा रहता है और रोसनी और हवा का वहाँ नाम नहीं है। दिल्ली में ऐसी भी जगह हैं जहाँ कि मुश्किल से २, ३ आदमी अपने पैर पसार सकते हैं वहाँ पर ५, ५ और ६, ६ आदमियों की, एक फैमिली रह रही है और उनके सिर पर छत नहीं है, कोई दीवारें नहीं हैं और लोग अंधेरे में डाल कर अपने दिन काट रहे हैं।

[श्री राधा रमण]

हालत यह है कि जब बरसात होती है तो ऐसे सैकड़ों मकान ढह जाते हैं और टूट कर गिर पड़ते हैं और मकानों के गिर पड़ने से हर साल दिल्ली में २, ४ आदमियों की जानें भी जाती हैं। शायद अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि अभी चन्द दिन हुए शहर के बिलकुल मध्य में स्थित बाजार सीताराम की बन्दूक वाली गली में एक मकान टूट कर गिर पड़ा और उसके गिरने से कई लोगों को चोटें आईं और उससे एक बच्चा मर भी गया। उसके १० दिन बाद ही उसके नजदीक का एक दूसरा मकान गिरा और उसके गिरने से भी कई लोगों को चोटें आईं। रात, दिन बरसात के दिनों में जहाँ मकान गिरते हैं लोग किसी तरह से सिर ढाँके पड़े हैं और किसी तरह अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं और मकान के गिर जाने पर बच्चे, मर्द और औरतें मलबे पर अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) भी मौजूद है, हमारी सरकार भी मौजूद है, मैं उनकी नीयत पर कोई हमला नहीं कर रहा हूँ और न ही मैं उनकी कोई शिकायत करना चाहता हूँ मगर मैं यह जरूर समझता हूँ कि इस का कोई हल निकालना बहुत जरूरी है। और इस का हल आज और अभी निकालना जरूरी है। जब बड़े बड़े मसलों को हमारी सरकार हल करती है, उन के लिये ऐसे सुझाव और रास्ते निकालती है, तो कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती कि हमारी इतनी बड़ी सरकार होते हुए भी और इतना उस का नाम होते हुए भी, राजधानी जैसी जगह में इस बात का फैसला करने में कई कई बरस लग जाते हैं कि किस तरह से स्वम हटायें जायेंगे, वहाँ के लोगों को किस तरह से सर छिपाने के लिये जगह दी जाये। आज सूरत यह है कि दिल्ली के गिर्दौनवा में कोई ऐसी जमीन नहीं है जिस को, मामूली या गरीब आदमी तो छोड़िये, एक छोटे दर्जे का इन्सान भी किसी सूरत से इसे ले सके,

क्या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनें, क्या केन्द्रीय सरकार की जमीनें और क्या उन लोगों की जमीनें जिन के पास बहुत सम्पत्ति है और जो कि लिमिटेड कन्सन्स (लिमिटेड सम्वाय) रखते हैं, जिन्होंने जमीनें हासिल कर ली हैं और कालोनाइजर्स (बस्ती बसाने वाले) बन कर थोड़े दामों में जमीनें लेते हैं और उन लोगों को देते हैं जो कि पूरा मुआबजा दे सकते हैं और करारी कीमत अदा कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह सरकार जो समाजवादी ढाँचे की बातें करती है, जो कदम उठा रही है कि जो डिस्परिटी (असमानता) है, अमीर और गरीब का जो फर्क है उसे दूर करे, जो जनता को खुशहाली की मंजिल पर ले जाना चाहती है, वह इन ६०० कटरो के रहने वालों के लिये क्या कर रही है जिन में बसने वालों की तादाद तीन लाख है, जिन के लिये हमारे भाई ने कहा कि उन में बहुत से रिफ्यूजीज हैं, हां, उन में काफी संख्या में रिफ्यूजीज (शरणार्थी) हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो बीस बीस, तीस तीस, चालीस, चालीस साल से वहाँ बसते हैं और बमुश्किल तमाम दिन भर मेहनतकशी कर के थोड़ा सा पैसा कमाते हैं और उस से अपना और अपने बच्चों का पेट भरते हैं।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रधान मंत्री का जिन्होंने इस ओर ध्यान दिया और इस सिलसिले में कुछ अर्सा हुआ कई मीटिंगें भी बुलाई जिसके नतीजे के तौर पर दिल्ली में कुछ हरकत हुई। कुछ ऐसे कटरे दुस्त हुये जो बहुत ही खराब और खस्ता हालत में थे, जिन की रिहाइश को इन्सानी रिहाइश कहना मुनासिब नहीं माना जा सकता, उन कटरो का कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सुधार हुआ है, उस को भी हमारे मेम्बरान जा कर देखें कि क्या सुधार नानआफिशियल एजेंसी यानी भारत सेवक समाज के जरिये हुआ है और क्या

म्यूनिसिपल कमेटी के जरिये हुआ है क्या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जरिये हुआ है ? इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक ऐसी जमात है, जिस से हर शास्त्र को, जो दिल्ली में बसता है, बड़ी बड़ी तबक्को रखता है, और शहर की बड़ी आवश्यकतायें पूरी हो सकती हैं, लेकिन मुश्किल यह है, बदकिस्मती यह है कि हम यह देखते हैं कि जब कि एक एक कटरे की बेहतरी के लिये हुकूमत ने पांच हजार रुपया खर्च किया है, अगर उस कटरे का मुकाबला उस कटरे से किया जाय जिस का सुधार नान आफिशियल एजेन्सी (गैर-सरकारी अभिकरता) ने तीन हजार रुपये में किया है, तो जमीन असमान का अन्तर मालूम पड़ता है। इन सारी चीजों को देख कर हमको बहुत तकलीफ होती है,। यह रुपया जो सरकार ने खर्च किया या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने खर्च किया है वह इस तरह से किया है कि जो इन्सान आज आसानी की जिन्दगी बसर नहीं कर रहे हैं, किसी तरह से सर छिपा कर पड़े हैं, उन का पूरा फायदा पहुँचे। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को चाहिये तो यह था कि जो कटरे भारत सेवक समाज ने तीन हजार रुपये में ठीक किये, उन को वह ढाई हजार रुपये में ठीक करता। जिन ७० कटरों का इन्तजाम ट्रस्ट ने अपने हाथ में लिया था उन का काम ज्यादा अच्छा होना चाहिये था, लेकिन वह नहीं हुआ। अभी मैं कह रहा था कि गरीब या मामूली आदमी की बात तो छोड़िये, कोई छोटे दर्जे का आदमी जो कि थोड़ा बहुत पैसे दे सकता है, आज देहली में जमीन नहीं ले सकता है। वजह यह है कि चारों तरफ ट्रस्ट ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, कंट्रोल कर रखा है, या तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन है, या सरकार की है लैंड डेवेलपमेंट आफिसर (भूमि विकास पदाधिकारी) या वह जमीन उन कोलोनाइजर्स की है जिन का मकसद गरीब आदमी के साथ कोई रवादायी नहीं है, या उन को सहायता पहुँचाना नहीं है बल्कि वह जमीन जो खरीदते हैं उस के अन्दर

बड़ा मुनाफा कमाना उन का काम है। आज उन लोगों की हालत क्या है जो तीन लाख की तादाद में ऐसे कटरों में रहते हैं ? आज आप को ऐसे कटरे देखने को मिलेंगे जहाँ पर बरसात के दिनों में सांप निकलते हैं और वहाँ के रहने वाले बच्चे और सांप आपस में खेलते हैं, अगर कहीं उस का जहर किसी बच्चे के ऊपर असर कर जाय तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। रातों वह लोग बैठ कर गुजारते हैं कि कोई सांप निकल कर कहीं किसी को डस न ले। इस तरह की जिन्दगी उनकी बरसात में होती है।

हमारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या सरकार विधेयक द्वारा पुराने बिल में नई धारा शामिल करने जा रही है। इसका नतीजा क्या होगा कि आप ट्रस्ट को यह इजाजत देंगे कि जगह जगह से लोगों को उठाया जा सके। यह ठीक है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से, और हमारे वजीर हेल्थ की तरफ से यह आश्वासन हम को दिलाया गया है, और हम यह भी मानते हैं कि उन्होंने इस पर कड़ी निगाह रखी है और पहले से हालत बेहतर हुई है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारा यह यकीन है, और हम इसको रात दिन देख रहे हैं, शहर में ही रहते हैं, कि बावजूद इन ऐशियोरनेसज (आश्वासनों) के, जो लोग इन कटरों में बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, उन को रातों नींद नहीं आती है क्योंकि करीब करीब हर महीने उनको नोटिस पहुँच जाते हैं, एक बार उनको बुला कर जरूर कहा जाता है कि तुम को यहाँ से हटना है, और वह रात दिन इसी खयाल में रहते हैं कि उन को आज नहीं तो कल वहाँ से हटना है। आप यह कहते हैं कि आप ने यह फैसला किया है कि उन को तब तक नहीं हटायेंगे जब तक उन के लिये कोई दूसरी जगह मयस्सर नहीं करेंगे, लेकिन आप इन तीन लाख आदमियों को, या उन में से पचास हजार

[श्री राधा रमण]

आदमियों को उठा कर किस तरह से बहनर तरीके पर बसा सकते हैं और वह जिन्दगी दे सकते हैं जो उन्हें मिलनी चाहिये। आप एक तरफ इस तरह का कानून पास करते हैं और दूसरो तरफ यकीन दिलाते हैं। नोटिस दिला कर आप एक तरफ तो हाकिमों से कहते हैं कि इस पर अमल करो और दूसरी तरफ आप लोगों से कहते हैं कि आपको तकलीफ न होगी—दोनों को आप मुश्किल में डालते हैं।

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से उन लोगों को निकाल कर जहां जहां बसाया है वहां की हालत मैं ने देखी है। आप ने कहा कि अन्धा मुगल हमारी अजमेरी गेट स्कीम के लोगों के लिये बना है। इस लिये हम अजमेरी गेट से लोगों को उठा कर वहां ले गये। हम लाजपतनगर में छोटे छोटे टैनि-मेंट्स घर बना रहे हैं, झिलमिल ताहरपुर में छोटे छोटे मकान बना रहे हैं, जहां पर उन को ले जायेंगे। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप खुद जा कर इस बात का मुआयना करें, इस सदन के हमारे मेम्बरान वहां जा कर मुआयना करें, तो देखेंगे कि किस तरह से उनकी जिन्दगी खराब की जा रही है, किस तरह से उन को और ज्यादा मुसीबत में डाला जा रहा है, अगर छः छः मील, सात सात मील पर ले जा कर उन को रक्खा गया और यह उम्मीद दिलायी गई कि वहां पर उन को कुछ काम करने का या रोजी कमाने के लिये धन्धा मिलेगा, लेकिन ऐसा होना सम्भव नहीं है और उन की जिन्दगी दिन ब दिन बद से बदतर होने का इमकान है।

मैं यह कह रहा था कि मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तबज्जह हुई, हमारे होम मिनिस्टर (गृह मंत्री) साहब की तबज्जह हुई, हमारे हाउसिंग और सप्लाय मिनिस्टर साहब की तबज्जह हुई और कुछ

हम ने हरकत की और हमारा कदम इस तरफ बढ़ा हम इसका कोई मुकम्मिल सोल्यूशन या सुझाव चाहते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद इस सब के, आज जो रफ्तार हमारी है, जिस तरीके पर हम चल रहे हैं, उस तरीके से शायद मेरी अपनी जिन्दगी में तो वह दिन नहीं आता मालूम होता कि जिस दिन यह तीन लाख की आबादी, जिस को आप को बसाना है, इन्सानो जिन्दगी हासिल कर सके। जैसी इन्सानो जिन्दगी का आप और हम इस आजाद हिन्दुस्तान में कायम करने की स्वाहिश करते हैं और कहते हैं कि इस हिन्दुस्तान में एक भी इन्सान ऐसा न रहे जिस के पास सर छिपाने के लिये जगह न हो। मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि जनाब ने चन्द दिन हुये जमुना बाजार को जा कर देखा कि वहां के लोगों की क्या हालत है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जनाब ने इस बात की स्वाहिश जाहिर की कि पार्लियामेंट के मेम्बरान काफी तादाद में जा कर जमुना बाजार के दर्दनाक मंजर को देखें। मैं यह जानता हूं कि इस सब का नतीजा अच्छा होने वाला है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ हमारे कदम और भी तेज होंगे और आगे बढ़ेंगे और हम उस मंजिल की तरफ जिस तरफ हम जाना चाहते हैं और ज्यादा तेजी से जा सकेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त यह बिल हमारे सामने आया तो हम ने इस चीज का इजहार किया कि इस बिल को आप वापिस ले लें क्योंकि जो पावर्ज (शक्तियां) आप के पास हैं, उन पावर्ज के इस्तेमाल से आप बहुत ज्यादा मकान जो केन्द्रीय सरकार के हैं, वे जमीनें जो केन्द्रीय सरकार की हैं और उन पर नाजायज कब्जा है खाली करा सकते हैं। लेकिन चारों तरफ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जाल बिछा हुआ है और कोई भी जमीन ऐसी नहीं है कि जिस को किसी गरीब आदमी को सर छिपान के लिये दिया जा सके। न आप उनको कोई जमीन एक्वायर

(अज्ञित) करके देना चाहते हैं तो क्यों इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनों को यह धारा बढ़ा कर खाली कराने की मजीद ताकत आप उसे दें। मुझे डर है कि इसका दुरुपयोग होगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे अपने वजीरों की नियत पर कोई शक नहीं है, कोई सन्देह नहीं है। लेकिन मैं यह कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि जो रास्ता वह आज अस्तित्‍यार कर रहे हैं उससे लोगों की तकलीफों में इजाफ़ा ही होगा उनमें कोई कमी नहीं आयगी। यह बात मैं पूरे यकीन से और विश्‍वास से कह सकता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि इस बिल का मकसद खराब है। मैं यह तसलीम करता हूँ कि जब यह धारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनों पर लागू नहीं होती थी तब चन्द लोगों ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीनों पर कब्ज़ा करने उसे नाजायज फायदा उठाया है और हजारों रुपया बतौर रेंट वसूल किया है और कर रहे हैं। तो एक तरफ़ वे गरीब आदमी हैं जो कि मुसीबत में हैं, जो कि दुखी हैं लेकिन दूसरी तरफ़ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे मौकों पर, फायदा उठाते हैं मगर उनकी तादाद सैकड़ों से ज्यादा नहीं है। इसके मुकाबले में गरीबों की तादाद बहुत अधिक है। इसलिये जहाँ इस धारा से ट्रस्ट को ऐसे नाजायज काम करने वालों को रोकना है वहाँ इन लाखों गरीबों की हालत सुधारना है न कि उन्हें तकलीफ़ पहुंचाना। जिन आदमियों ने ट्रस्ट की जमीनों पर कब्ज़ा कर रखा है और जो अपने आपको उनका मालिक मान बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में किरायेदार रखे हुये हैं और हजारों रुपया उनसे वसूल कर रहे हैं उन्हें ज़रूर बेदखल करना वाजिब है। लेकिन दूसरों को नहीं। हम अपने वजीरों को किसी तरह से भी ब्लेम न करते हुये और उनकी नियत पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुये यह अपना फ़र्ज समझते हैं और समझते हैं कि यह हमारा हक़ भी है कि जो मुश्किलत पैदा होती है या हो सकती है

उनको उनके सामने रखें। इस चीज़ को मद्दे-नज़र रखते हुये मैं यह अपना फ़र्ज समझता हूँ कि आपको मैं यह बताऊँ कि यह धारा जो कि आप बढ़ाने जा रहे हैं, इसको आप न बढ़ायें तो अच्छा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे नुकसान होगा और लोगों की तकलीफ़त बढ़ेगी। इसलिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बावजूद इसके कि हमारी यह इच्छा होती है कि हम इस विधेयक की इस धारा को जो बढ़ाई जा रही है, न मंजूर करें और हम यह साफ़ साफ़ कह देना चाहते हैं कि इससे तकलीफ़ बढ़ती ही दिखाई देती है और उन तीन लाख इन्सानों की जो कि हैवानों की सी ज़िन्दगी बसर कर रहे हैं और जिन की हालत को सुधारना हमारा फ़र्ज है, हालत और भी खराब हो जाने का डर है। कोशिश तो हमें यह करनी चाहिये कि इन को हम अच्छी तरह से बसायें और कोई ऐसा काम न करें जिस से इन्हें अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़े, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस विधेयक से उनकी दशा और भी दयनीय होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप को झील कुरंजा की हालत बताना चाहता हूँ। झील कुरंजा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का एक हिस्सा है और यहाँ पर कोई १०,००० की आबादी है। परसों जब हम वहाँ गये तो हमने पाया कि वहाँ मकानों में पानी भरा था और वहाँ बच्चे, मद, औरतें, बूढ़े सब के सब अपने हाथों में बाल्टी या तसला लिये हुये थे और पानी निकाल रहे थे। वहाँ पर सरकार के दो एंजिन भी खड़े थे लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। जब तमाम सरकारी मशीनरी को हिलाया गया तब जा कर कहीं एंजिन काम करने लगे और वहाँ से पानी निकाला गया। मेरा स्थल है कि इस कारण कई लोगों ने दिन भर खाना भी नहीं खाया क्योंकि वहाँ पर पानी भरा हुआ था। तिस पर भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ़ से उन लोगों के पास नोटिस पहुंच रहे

[श्री राधा रमण]

है। कि आप को ये मकान खाली करने होंगे। अब आप ही बताइये कि ऐसी हालत में कोई भी शख्स जिस के दिल में गरीबों के लिए कुछ थोड़ी सी भी हमदर्दी है, क्या सोचेगा। आपकी नियत चाहे ठीक हो लेकिन आपके नीचे जो काम करने वाले हैं वे कोई और ही अर्थ निकाल लेते हैं और फिर जो नताइज निकलते हैं वे हमारे सामने आ जाते हैं। तो मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि यह विधेयक जो कि इस वक्त इस सदन के सामने आया है इसमें मुझे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आती जिससे मुझे किसी किस्म का विरोध हो फिर भी मैं समझता हूँ इस के अन्त में आने से उन लोगों के ऊपर तकलीफें आने वाली हैं, जो कि ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं या ऐसे कटडों में रह रहे हैं। चन्द महीने हुये कि हमारे सामने जो हाई पावर कमिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिठाई थी उसके अन्दर कई फँसले किये गये थे। कुछ पर अमल हुआ और कुछ पर अभी अमल होना बाकी है। नतीजा यह है कि जो मालिक मकान हैं वे यह समझने लग गये हैं कि उनकी जमीन उनसे छीनी जायेगी और उनके कटडों को खत्म कर दिया जायेगा इसलिये उन्होंने किरयदारों को नोटिस देकर तंग करना शुरू कर दिया है। और अदालतों में जा रहे हैं। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने यह बात रखी थी और अपने मंत्री श्री के सामने भी इस बात को रखा था कि वह बहुत जल्दी एक ऐसा कानून लागू करें जिस से इन किरायेदारों की यह तकलीफें खत्म हों और उनको मालिक मकान तंग न कर सकें। उस वक्त यह विचार हुआ था कि आर्डिनेंस के जरिये मालिक मकान को ऐसा करने से रोका जाये परन्तु बाद में शायद यह महसूस किया गया कि आर्डिनेंस (अध्यादेश) से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है इस लिये इस (Ordinance) के स्थान को त्याग

दिया गया और यह फैसला किया गया कि एक विधेयक लाया जाये। आज हम उस विधेयक के लिये इन्तजार कर रहे हैं। हमारे पास हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और हम से इसके बारे में पूछते हैं और अपनी तकलीफों का जिक्र करते हैं। वक्त बीतता जा रहा है लेकिन कोई विधेयक पेश नहीं किया जा रहा है। पार्लियामेंट (संसद) को अपने काम से फुरसत नहीं मिलती और हमारे माननीय मंत्री जी को उस विधेयक को लाने की गुंजाइश नजर नहीं आती। इसका नतीजा यह हो रहा है कि महीनों पर महीने गुजरते चले जा रहे हैं और बेदखलियां होती जा रही हैं। जहां पर एक तरफ हम गन्दी बस्तियों का सुधार करना चाहते हैं वहां पर हम यह भी देखते हैं कि नई गन्दी बस्तियां बनती जाती हैं और उन गरीबों की तकलीफ बढ़ती ही जाती है जिन को बसाना चाहते हैं, जिन को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसलिये अग्र्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को पास करने से पहले हमारे वकील साहिबान को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि क्या वे करने जा रहे हैं और क्या उनके नताइज निकलने वाले हैं।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम दो काम तो आप अवश्य कीजिये। एक काम तो आप को वह करना चाहिये कि आप उस कानून को जो लाना चाहते थे उसे आप जल्दी से जल्दी लायें और दूसरे कम से कम एक ऐलान के जरिये आप यह कह दें कि किसी गरीब आदमी को नोटिस नहीं दिया जायेगा और अगर नोटिस दिया जायेगा तो वह बिल्कुल बे मानी होगा और उसका कोई अमल नहीं होगा और कोई उनको उठा नहीं सकेगा। अगर आपने ऐसा किया तो वे लोग जो आज बर्हा रह रहे हैं वे आराम की नींद तो सकेंगे और

कम से कम यह महसूस कर सकेंगे कि आज हिन्दुस्तान में एक आजाद हकूमत है और इस हकूमत की तरफ से किसी किस्म की तकलीफ पहुंचाये जाने की आशा नहीं की जा सकती इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि हमारे वजीर साहिबान जो इस बिल से ताल्लुक रखते हैं वे इन बातों को सोचें और कोई ऐसा हल निकालें जिस से कि इन लोगों की तकलीफात में इजाफा न होने पाये और इन लोगों को यह कहने का मौका न मिले कि हमारे साथ बेइसाफी हो रही है ।

अखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह बात मेरे से पहले वक्ता ने भी कही है । जब हमने विधेयक को Select कमेटी में स्वीकार किया था उस वक्त एक बात साफ कर दी गई थी और उसे हमारे वजीर साहब ने भी मंजूर कर लिया था कि पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक सलाहकार कमेटी बनाई जायगी और उस कमेटी की सलाह और इजाजत के बिना किसी भी इलाके में लोगों को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठेगा । आज विधेयक हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई प्रोविजन (उपबन्ध) नहीं है ।

मैं सरकार और वजीरों से अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वे चाहते हैं कि लोगों को इत्मिनान हो, लोग समझें कि हमारी जिन्दगी अब बेहतर बनने वाली है और हम एक आजाद मुल्क के आजाद इन्सानों की तरह रह सकते हैं, तो कम से कम इस बात को, जो कि उस वक्त मन्जूर की गई थी, उन्हें जरूर इस विधेयक में शामिल कर देना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं आप से पुरजोर अलफ्राज में दरखास्त करूंगा कि आप सरकार को कम से कम इस बात के लिए मजबूर करें कि वह पार्लियामेंट के मेम्बरों की एक सलाहकार कमेटी—मशावरती कमेटी—कायम

करे, जो कि सिर्फ सलाह के लिए ही काम न आए, बल्कि यह फैसला कर दिया जाय कि खास तौर से इस काम के लिए—दिल्ली इम्प्लूवमेंट ट्रस्ट की जमीनों से लोगों को हटाने के बारे में उस की मरजी के बगैर कोई कार्यवाही न की जाय । यह तय हो जाना चाहिये कि सलाहकार कमेटी की आज्ञा या इच्छा के बगैर किसी को न हटाया जाय । अगर हमारे वजीर साहिबान कम से कम इतना ही कर देंगे, तो मेरे ख्याल में वह तकलीफ, जिस का कि मैंने अभी जिक्र किया कम हो जायगी और लोगों को कुछ इत्मिनान हो जायगा और वे महसूस करेंगे कि हकूमत हमारी खराब हालत को, हमारे दुख और तकलीफ का दूर करने में हमारे काम आ रही है । मुझे इस बिल के मकसद पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे उससे इत्तफाक है और मैं इस बिल को स्वीकार करने की स्वाहिश जाहिर करता हूँ ।

Shri Feroze Gandhi (Pratapgarh Distt.—West cum Rae Bareilly Distt.—East): When will the Minister be replying?

Mr. Speaker: After the hon. Members have finished their speeches.

Shri Feroze Gandhi: Will both the Ministers be replying or only one?

The Minister of Health (Rajkumar Amrit Kaur): I should like to say a few words if I may, before you call on the hon. Minister incharge.

Mr. Speaker: I shall now call Mr. Gidwani and Shrimati Kamlendu Mati Shah. How much time will the hon. Members require?

Shrimati Kamlendu Mati Shah (Garhwal Distt.—West cum Tehri Garhwal Distt. cum Bijnor Distt. North): I require only three minutes.

Shri Gidwani (Thanna): I want ten minutes.

Shri Naval Prabhakar (Outer Delhi—Reserved—Sch. Castes): I require ten minutes.

Shri D. C. Sharma (Hoshiarpur): I want fifteen minutes.

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon): I have submitted yesterday that I require at least one hour.

Mr. Speaker: It comes to one and a half hours. So I will call the hon. Minister at 2-30 P.M. I expect the whole thing will be over by then.

श्रीमती कमलेश्वरिणी शाह : आप ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे तीन मिनट कम समय दिया है, उसके लिए मैं आप को धन्यवाद देती हूँ। मेरे भाई ने अभी जो यहाँ के कटरों की बुरी अवस्था का वर्णन किया है, कौन ऐसा मनुष्य है, जो कि उस को सुन कर प्रभावित और दुखी न हुआ होगा। मेरा निवेदन है कि उन गरीबों को उन के स्थानों से न हटाया जाय। सरकार उन को वहीं पर घर बना दे और वहीं पर रहने दे। अग्र्यस्त महोदय, आप को भी इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान है कि अगर उन लोगों को उनके वर्तमान घरों से दूर जा कर बसाया गया, तो वे बेचारे अपने रोजगार से वंचित हो जायेंगे और उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस लिये बड़े जोरदार शब्दों में सरकार से मेरा निवेदन है कि उन लोगों को वहाँ ही रहने दिया जाये और उन कटरों को सुधारने के काम को प्रायर्त्त दी जाय। हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं पर इतना धन खर्च हो रहा है। उनकी अन्य बातों को थोड़ा पीछे रख कर पहले इन कटरों को सुधारना चाहिये और इस काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

जहाँ तक खाली कराने का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में धारा 14 में बिल्कुल नहीं होनी चाहिये। स्थान खाली कराने का अधिकार केवल सरकार को होना चाहिये।

उन लोगों को अपने घरों से दूर तो किसी भी हालत में नहीं भेजना चाहिए। जब वहाँ पर सुधार और नये मकान बनाने का कार्य चल रहा हो, तो उन लोगों के लिये कुछ दूर मैदान मिल जाय तो अस्थायी प्रबन्ध ये स्वयंम् कर लेंगे उन को दूरस्थ स्थानों पर भेज कर उन को आजीविका के साधनों से वंचित न किया जाय।

Shri Gidwani: The main objection which has been raised against this Bill is the question of providing alternative accommodation to those who will be evicted or removed from the present places. I have some experience in this respect, apart from being evicted from my own land; even those who have come here have to undergo this trouble and great suffering. People who were living here in Delhi and other places in the beginning have been shifted to colonies which are situated far away from the business centres. Not only in Delhi but in many other places in India this has been done.

It was stated at that time that there will be enough employment for them and there will be no difficulty as regards their source of employment or income. But experience prove that they were not able to earn their living and many had to undergo terrible suffering. The whole criticism that has been levelled against this Bill is: what about those people who will be evicted and how will they earn their living? My humble suggestion is that we must have a comprehensive scheme before us stating these are the vacant places in Delhi and how you propose to shift them, how many houses will be built, what will be the accommodation there and what will be the facilities for employment round about there. Unless that very clear picture is placed before us, it is very difficult for us to vote for this Bill. Though I was also a member of the Select Committee, this hesitation was before us.

Apart from this aspect of the question, the other question is the treatment that these people receive

at the hands of the lower officials. After all, they are not to be blamed because they have to carry out a particular policy. Therefore, the entire question with which everyone is concerned is the question of removing these people from where they are residing at present. I have also seen some of these colonies, some of these places near Ajmere Gate. People have been carrying on their trade for generations in those places. Now they will be shifted six miles away or seven miles away from those places. How will they be provided with source of employment? That is the main problem. Therefore I would suggest that this Bill may be postponed because all the Members are more or less opposed to that. Mr. Radha Raman, who is an old resident of Delhi gave a very graphic picture, heart-rending picture, not only of a few lakhs of refugees alone but even of non-refugees numbering about three lakhs, who will be displaced. Where will they go? Therefore, we should have a complete picture and I suggest that the Bill may be postponed for the time being and a complete picture may be placed before us so that we may be able to understand the whole question.

1 P.M.

The other suggestion which Shri Radha Raman made was that the question of the advisory council should also be settled before hand and we should know who are going to be the members of the advisory council and what are going to be their functions. We have just had a debate on the rules relating to the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Bill. In connection with that there was a statutory advisory board of which my friend Pandit Thakur Das Bhargava was also a member. You saw how the recommendations of that statutory advisory board were accepted or rejected by the Government. Let us not have a repetition of the same thing. Therefore we must know what are going to be the functions of the advisory council before we can really be willing to support this measure.

Otherwise, in principle who would not like in these days that slums should be removed? After all, we want all amenities to be provided and the first condition of a good house should be that it should be airy, that it should not be in a congested locality, that the number of people living in that particular locality should not be very large. Everyone will be willing that we should have open spaces, good houses etc., but the whole scheme should be there

When the refugees were being removed to Kalkaji, Malaviya Nagar and Lajpat Nagar, I used to say: "Why not build houses near about Delhi?" They used to say: "Where is the space?" I said: "Build multiple storey houses." Now you see from Red Fort onwards up to Hardinge Bridge so much vacant space was lying there. Research institutes, income-tax office, newspaper offices and a number of institutions have been built. These need not have been built here. They might have been very well shifted to places four or five miles from here. We could have built multiple storeys as they are building in all big cities. If you go to industrial cities in Europe, Soviet Russia, China or other countries, you will find they are building multiple-storyed buildings. We could have done that and saved many lakhs of people from starvation or under-employment or unemployment. But what did we do? We are having all these offices, an office like the Income-tax Office and even a research institute near about Delhi, while shifting residential places far away from the business centre. Therefore these factors, what we call human factors, should be taken into consideration. We are not taking human factors into consideration. We are simply having a plan and a map. So many people, shift them seven miles, build one room tenements, keep them there and money will flow, occupation will flow and all will be employed. This is not the way of planning. This is not the way of rational thinking. This is not the way of improving the so-

[Shri Gidwani]

cial status of people. Suppose you remove them and you give them a room, does that fill their belly, does it lead to their advancement, does it provide them educational facilities? All these factors we are ignoring. We are simply proceeding on some basis which has no relation to the realities of the situation before us. That is why from all sections of the House there is no support to this Bill though the Select Committee has approved it.

I do not want to go into the history how Pandit Thakur Das Bhargava was the Chairman of the Select Committee and how he resigned. He will give you the whole background of this Bill. I will only say and repeat again; let us not in a hurry pass certain legislation which may bring misery to thousands of people instead of bringing relief to them. If our object is to provide better housing accommodation, if our object is to remove slums, if our object is to take steps towards the advancement of the people and their better living, we must have a clear picture before us. All the objections that have been raised here in the speeches so far are not mere phantoms, something airy or imaginary. These are the real facts of the situation. People who are living in Delhi, men like Shri Radha Raman who know the real situation, who are moving about the city are telling you these things. Therefore, you must have some faith, some confidence at least in your own Members who are not your opponent, who are not saying anything with a view to defaming the Government or to put difficulties in the path of the Government. Of course, I do not suggest that the opponents say things with a view to defame the Government or create difficulties, but I say even your own friends, members of your own party, people living in Delhi who are all well-wishers of the people are raising these objections. Why? Because they have genuine fears. Therefore you must create a situation in which all these genuine fears are removed and a complete and comprehensive

scheme is placed before the House before the Bill is passed in a final form.

With these words, I would only request that something should be done to allay those fears and create a situation which might be favourably considered by the people, so that all sections of the House may support the Bill. Otherwise, in principle no one in the House will oppose such a measure which is intended to remove slums and create better living conditions.

श्री नवल प्रभाकर : यह विधेयक सरकारी जमीनों और सरकारी इमारतों खाली कराने से सम्बन्ध रखता है। यह बिल संशोधित रूप में हमारे सामने पेश है। मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। परन्तु दो तीन बात अभी तक सदन के सामने नहीं आयी हैं। उनके ऊपर मैं प्रकान डालना चाहता हूँ।

सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा अधिकारी वर्ग उन बातों और आशवासनों की अधिक परवाह नहीं करता जो बातें कि इस सदन में की जाती हैं या जो आशवासन कि इस सदन में दिये जाते हैं। वे ज्यादा तवज्जह उन शब्दों पर देते हैं जो कि विधेयक के अन्दर होते हैं और जो कि बाद में अधिनियम बन जाता है। जो उन शब्दों से मतलब निकलता है उसके अनुसार ही वे कार्य करते हैं। जो शब्द विधेयक में दिये हुये हैं, अगर हम उनको देखें तो मालूम होगा कि उनसे आम जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। खास तौर से जो गरीब लोग हैं, जो बेसरोसामान बैठे हुये हैं और बुरी अवस्था में बैठे हुये हैं, उनको इस विधेयक से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the chair.]

1.7 P.M.

यह ठीक है कि जिन जगहों में वे बैठे हुये हैं उनको सरकार इस विधेयक के कानून बन जाने पर खाली करा सकेगी और उन

जमीनों को उसी तरह से बेच सकेगी जैसा कि उसने झंडेवालान में किया। झंडेवालान में शरणार्थी भाई रहते थे, उनको हटाया गया, और उस जमीन को आज ४० और ५० रुपये गज के हिसाब से बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग इन जमीनों को खरीदते हैं उनको उसकी कीमत पर ढाई रुपया प्रति सैकड़े के हिसाब से प्रति छमाही या प्रति वर्ष देना होगा। इस तरह से एक बड़ी रकम उनको हर साल देनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में वे आदमी जो कि इन गन्दी बस्तियों में रहते हैं वे कैसे इतने मूल्य पर इस जमीन को खरीद सकते हैं। इन लोगों की अवस्था यह है कि ये दिन भर काम करके शाम को आटा साग लाते हैं और खा लेते हैं और दूसरे दिन के लिये दूसरे दिन फिर मेहनत करते हैं। ये लोग ४० और ५० रुपये वर्ग गज के हिसाब से जमीन कैसे खरीद सकते हैं। और मान लीजिये कि किसी के पास कुछ जुड़ा हुआ पैसा हो और वह इस जमीन को खरीद भी ले, तो वह उसकी कीमत का ढाई प्रतिशत हर साल कैसे चुका सकेगा। मुझे मालूम है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) ने करोल बाग आदि स्थानों में ६ आना प्रति वर्ग गज के हिसाब से जमीन दी थीं। उन जमीनों पर आज भी वह लोग रहते हैं। मैं पूछता हूँ कि जब पहले इतनी सरल किश्तों पर जमीन दी जा सकती थी तो आज क्यों नहीं दी जा सकती। मैंने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में दरिया-फ्त किया तो मालूम हुआ कि उनको सात आठ रुपया प्रति गज के हिसाब से डेवेलपमेंट (विकास) के लिये खर्च करना होता है। मान लीजिये कि यह ठीक है, तो भी सात आठ रुपये गज के स्थान पर इस जमीन की कीमत नौ या दस रुपये प्रति वर्ग गज रखी जा सकती है, लेकिन ४० और ५० रुपये गज तो किसी तरह भी नहीं रखी जानी चाहिये। इसके लिये कहा जाता है कि और लोग भी तो इसी भाव से जमीन बेचते हैं। लेकिन यह तो कोई दलील नहीं हुई। हम

कहते हैं कि हम यहां समाजवादी समाज व्यवस्था लाना चाहते हैं, बड़े और छोटे के फर्क को कम करना चाहते हैं, फिर ऐसी अवस्था में इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। केवल इतना ही नहीं है कि इस जमीन की कीमत इतनी ज्यादा है। एक शर्त और भी है। वह यह कि अगर वह आदमी किसी वक्त तंगी की वजह से अपना मकान बेचना चाहे तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट उसकी कीमत आकेगा। और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अनुसार जो कुछ मुनाफा उसको होगा, उसका ५० पर सेंट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को मिलेगा। चाहे वह आदमी अपने मकान को घाटे में भी बेचे, फिर भी उसकी कीमत का अनुमान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करे, और इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वह आदमी उसको कितनी कीमत में बेच रहा है। तो यह इस तरह की बातें हैं, उनको हमें देखना है और समझना है।

जहां तक कटरो का ताल्लुक है श्री राधा रमण ने बड़े विस्तार से उनकी बाबत हाउस का ध्यान दिलाया और यह बतलाया कि उनमें लोग कितनी बुरी अवस्था में अपने दिन गुजार रहे हैं।

अजमेरी गेट का बहुत पुराना मसला है वहां के लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं और वह न तो ठीक बसने के ढंग पर हैं और न ही उनके लिये कोई माकूल इंतजाम किया गया है। कभी उनको उठाने की बात कही जाती है तो कभी बसाने की बात कही जाती है। अभी पिछले दिनों उठाने की बात कही गई उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं यहां पर मकान बनाये जायेंगे और उनको बसाया जायेगा किन्तु आज इस विधेयक को देख कर वहां के लोग घबड़ाये हुए हैं और वहां के बहुत से प्रतिनिधि मुझ से आकर मिले। उन्होंने मुझे बतलाया कि फिर हमारे दिल में घबड़ाहट हो रही है कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हमारे लिये क्या होगा और क्या नहीं होगा और हमारी क्या

[श्री नवल प्रभाकर]

हालत बनेगी। हमें आप कम से कम इस हाउस में कहिये कि हम जिस अवस्था में पड़े हैं उसी में हमको रहने दिया जायेगा। उन्होंने बड़े ही मामिक शब्दों में कहा कि आदमी जहां पर पैदा होता है वहां की मिट्टी से और उसके कण कण से उसे प्रेम हो जाता है, तो कम से कम हम सैकड़ों वर्षों से जहां रहते चले आये हैं, उस भूमि को जहां हमारे बाप, दादा रहते थे, जहां पर हम खेले कूदे और इतने बड़े हुए, उस जगह से हमें हटा कर दूर ले जाया जा रहा है तो वह एक दम से तो नहीं हो सकता और वहां पर बसने में हमें समय लगेगा और वहां पर हमारी रोजी का खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, इसका कुछ पता नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरी सरकार से यह बिनती है कि हमें लोगों के सामने इस तरह के आकर्षक सुझाव रखने चाहियें ताकि लोग उसकी तरफ बड़ें। पिछली बार हमारे पुनर्वासि विभाग ने तिलकनगर के पास कुछ जमीन ले ली और वहां पर उसने ११०,१०० गज के प्लाट्स बनाये और उसने विस्थापित भाइयों से कहा कि जो हमारे शरणार्थी भाई उस जगह पर बसना चाहियें उनको हम १००,१०० गज जमीन देंगे और ५०० रुपया मकान बनाने के लिये देंगे। उसके पश्चात् आप जैसा चाहें बैसा बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक उसी तरीके की यदि कोई आकर्षक योजना हो, कोई इस तरीके की बात वहां रखी जाय, यदि हम यह कहें कि हम अजमेरी गेट वालों को उठा करके झील कुरंजा या शहादरा ले जा कर बसायेंगे तो उनको नागवार मालूम पड़ता है लेकिन यदि हम उसके साथ ही उनको यह कहें कि हम अमुक स्थान पर इतने गज जमीन देते हैं और उसके साथ में इतना हम लोन देना चाहते हैं, इतनी सहायता देना चाहते हैं तो यह संभव हो सकता है कि लोग उधर आयें। लोगों को हम बतलायें कि यह शर्तें हैं, इन शर्तों पर आप वहां

आइये, बिलकुल आसान किश्तों में हम आपको वहां बसने के लिये लोन देंगे तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग खुशी उधर जा कर बस जायेंगे और इतने पर भी अगर कुछ लोग वहां पर नहीं जाते और पुरानी जगह पर पड़े रहते हैं तो उनका वहां पर बसाइये और उनके रहने के वास्ते दो मंजिले और तीन मंजिले मकान तैयार करवाइये और वहां पर उनको रखिये।

मेरी इस सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इसमें जो भाषा सम्बन्धी बात है और जहां पर आप एक ऐडवाइजरी कमेटी (मंत्रणांकर समिति) बनाने का आशवासन देते हैं, वहां यह चीज साफ नहीं है कि ऐडवाइजरी बोर्ड की जो सलाह होगी वह कहां तक मानी जायेगी। मुझे इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है कि कई बार कई बातों के लिये कहा जाता है और प्रार्थनाएं की जाती हैं किन्तु फिर उसमें वही कानूनी अडचनें आ जाती हैं और वह काम नहीं हो पाता और हमको यह जवाब दे दिया जाता है कि बिल में ऐसा लिखा हुआ है, इस लिये कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर सरकार से यह प्रार्थना करूंगा और मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें और विचार करके कोई ऐसी समुचित व्यवस्था करें क्योंकि यह कोई पूंजीपति लोगों का मामला तो है नहीं, यह तो बिलकुल साधारण गरीब लोगों का मामला है और उसको सहानुभूतिपूर्वक ही सुलझाया जा सकता है और ऐसा करने से हमारी सरकार यश की भागी होगी और मेरी सरकार से अपील है कि वह इन गरीब आदिमियों की तरफ खाय तौर से ध्यान दे।

Shri D. C. Sharma: Though I have made many speeches on the floor of this House, I do not want to make

a speech today. I want to make only an appeal. I do not come to argue my case, because that case does not need any argument. But I come here only to persuade the authorities that be, to take into account all sides of the question, that have been referred to on the floor of this House today and even before.

My first point is this. Kindly look at clause 4 of this amending Bill, and look at the number of authorities that are going to be in charge of the directive operations of this Bill. The very enumeration of those authorities makes one feel very doubtful. First of all, there is the Central Government; then, there is the authority under the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act; then, there is the State of Delhi; then, there is the Delhi Improvement Trust; and then, finally, there are the local authorities.

Sir, democracy does not mean the proliferation of authorities. Democracy does not mean the ramification and dissipation of authority. I know, democracy means decentralisation. But this is not the decentralisation that we want; this is decentralisation with a vengeance. I would have used a stronger word, but I do not want to use it, because I am making an appeal. But I would say that this multiplication of authorities is, in itself, a condemnation of this Bill, because there are so many grindstones. Every authority is a grindstone. I do not want to use hard words, but every authority is going to be a grindstone. And all these grindstones are going to grind the poor man into, shall I say, flour.

The Minister of Works, Housing and Supply (Sardar Swaran Singh):
Do not use strong expression.

Shri D. C. Sharma: I have come here today to make an appeal, and therefore, I would submit, with the utmost humility, to the Ministers in charge of the implementation of this Bill, that first of all, they should do away with this pluralisation of authorities. Unless, that is done, I am

afraid there can be no peace, there can be no effective operation of this Bill, and there can be no effective control over anything.

I would suggest that instead of having these small authorities here and there, instead of having this brood of authorities, they should have one strong, competent, and important authority who will deal with this problem. That is the first point that I want to make.

My second point is that the phrase 'public premises' is too wide a phrase. Anything can be covered under the term 'public premises'. Formerly, the wording was 'Government premises', and now, they have coined a new phrase 'public premises'. I would say that this phrase 'public premises' requires a lot of definition and clarification. Of course, it will be said 'We shall do so, when we frame the rules in connection with this Bill'. But I think the House is entitled to know at least the broad outlines of what the words 'public premises' mean. Whatever is given is vague and does not lead us to anything. I would, through you, request the hon. Ministers that whenever they bring forward such Bills which have to deal with millions of people, they should kindly see to it that the words bear some definite connotation and they are not left vague and hanging in the air.

I would, therefore, say that the phrase 'public premises' is a very big net, and this net can catch any fish. Of course, it is a net which will catch only small fish; perhaps it won't be able to catch any big fish. But I am not worried about small fish or big fish; I am worried about the maze of this law, the tentacles of this thing. I think this should have been very clearly and precisely defined.

The third point that I want to make is this. I have no quarrel with the DIT. I only want that its nomenclature should be changed. You keep it as it is, but do not call it Delhi Improvement Trust. You call it Delhi

[Shri D. C. Sharma]

Displacement Trust or you call it Delhi Enrichment Trust. I have no quarrel with that and you can keep it going, functioning as it is.

Shri Feroze Gandhi said something in this connection yesterday. Nobody has had the courage to contradict him, and if anybody contradicts him, I think he does so on his own, at his own peril. Shri Feroze Gandhi is not the man who will make any statement on the floor of the House which will bear challenge. What did he say? The premises which are taken over by this Delhi Improvement Trust are being sold, are being rented out, to so many adventurers who have come to Delhi and who have made lots of profit out of these things. Delhi is a very great city and all kinds of people live here. There are also some persons who want to make money, quick money, and money in a clever way. Therefore, I say that this should be called the Delhi Enrichment Trust, because the authority which the Government are going to take over is going in some cases, more or less, to work for the advantage of some rich persons who take land at Rs. 5 per yard and sell it at Rs. 50 per yard. They do so, and therefore, I say that this business of taking over land is to be scrutinised, controlled and regulated. It cannot be left to this Delhi Improvement Trust. We know all about this Delhi Improvement Trust and we know what a glorious account it has given of itself so far. As a Member of Parliament, I would say that the Delhi Improvement Trust cannot be given these blanket powers to play with persons.

The fourth point I want to make is as regards eviction. We know eviction of a kind; we, persons who have come from West Punjab or persons who have come from East Bengal, know eviction of a kind. But that was compulsory eviction of a kind. This is illegal eviction made legal. That eviction was due to the catastrophe which overtook us, but this eviction has been made by us. If I give you the harrowing tales of this

eviction—I do not want to cover the ground which has already been covered by so many Members—if I give you only one harrowing tale of those persons who have been evicted, I think you will feel very unhappy. Every Member will feel very unhappy.

What does a piece of land mean to a man? I want to have the attention of the hon. Minister, Shri Tyagi, also, because he is a humanist. What is the meaning of eviction? Eviction does not mean eviction from only a dwelling place. It is not moving from Pataudi House to Western Court and from Western Court to North Avenue. It is not a question of habitation alone. It is not a question of moving from this road to that road. It is not merely a question of living quarters. That is also there. But with these houses are associated the sources of livelihood. It is not a question of mere shelter; it is a vast economic problem. The house and the economic source are almost one and the same. It is not only that. It is also the question of the social community.

We have all come from West Pakistan and we are happy; the Government of India have done so much for us. But then the social community to which we belonged in West Pakistan cannot be had here; somebody is here, somebody is there and somebody else has gone to some other place.

Therefore, the house means three things. It is a roof, it is a shelter over your head. It is the source of your livelihood and it is also the centre of your social life. These poor people do not go to any clubs. These poor people do not have any office establishments. These poor people do not have any big business shows. They do not have any such things. I would therefore, appeal to the hon. Minister and also to the hon. Shri Tyagi, who seems to be very much interested in this problem. The problem of eviction is not merely a problem of the location of a person. They will say; 'We will give them alternative accommodation'. Very good. That is also

something; I do not deny it. But alternative accommodation is nothing when you uproot the man from his social life and from his economic life. You send him six miles away or seven miles away, or even two miles away of course, you will say 'We do not send him six miles away'. But if you uproot him, it is physical uprooting, it is social uprooting and it is economic uprooting. It is an uprooting for which I cannot find adequate words.

Therefore, I submit most respectfully to the hon. Ministers here—and they are the ultimate judges of what I am saying—that this problem will not be solved merely by eviction. I have been told that now certain places are kept open spaces. We need open spaces. We want lawns. I want Delhi to have lawns and open spaces, but before Delhi gets lawns and open spaces, I want roofs for the poor people, I want roof over their heads. I think lawns and open spaces will come afterwards. Now, so much of the land is being kept as a sealed thing in the name of open spaces and all that.

I would request these hon. Ministers to stop issuing these notices in the rainy season. Do you know what is happening in Shahdara? In the Jumna, the water level is rising and it is only 1½ feet below the flood level. A number of houses are under water. Water is flowing into some of the houses, and even at this time notices are being served on some of the inhabitants of Shahdara! I know these Ministers do not serve notices. They are very fine flowers of Indian citizenship—finest flowers, I should say. They do not serve the notices but you know that notices are being served, and those poor people are being asked to quit their houses at this time. We are Indians and we know the rainy season and we know the difficulties which are experienced in the rainy season. Of course, my friends from Bengal know them much more than I do. But even here the rainy season is not a very pleasant thing always. The rainy season means the falling of houses and so

many other things. These notices are being served on people in Shahdara why? So that they should quit those houses at this time. I would say that there is a kind of panic at least in Shahdara at this time, because notices are being served.

I am told that this Bill took a months to come into form. It contains only 6 clauses and I do not know why it took so much time. Of course, Pandit Thakur Das Bhargava will be able to throw some light on it.

Shri K. K. Basu (Diamond Harbour): He was dethroned.

Shri D. C. Sharma: Who was dethroned?

Shri K. K. Basu: Pandit Thakur Das Bhargava.

Shri D. C. Sharma: I do not believe in these things, enthroning and dethroning and all that. I am a democrat. You may have belief in them I have not.

The Minister of Defence Organisation (Shri Tyagi): He is a communist.

Shri D. C. Sharma: This Bill consisting only of 6 clauses took 8 months to take shape. Why did it happen like that? I want to know from Pandit Thakur Das Bhargava why the Committee took 8 months to give shape to it. That makes me think that though this Bill appears to be a very simple and non-controversial Bill—I know what Sardar Swaran Singh proposes will be non-controversial because he is a man of sweet reasonableness and he will make even a controversial thing look non-controversial—this Bill is bound up with the lives and well-being of lakhs of persons, lakhs of those persons whom we, in our imaginary visions of authority, call poor people. I would be ashamed to call them poor people.

This Bill concerns the fate of so many persons; it also concerns the future of Delhi. Is Delhi going to be a paradise for profiteers: is Delhi going to be paradise for people who traffic in these lands? Is Delhi going

[Shri D. C. Sharma.]

to be a paradise for those people who are trying to get rich and fat on these things? If that is going to be, I despair about the future. This Bill is meant to make Delhi a better city. I may tell you that when this Bill is passed, Delhi will not become a better city than before but Delhi will become a good city for some out not so for all.

So, I submit most respectfully to the two Ministers who are here and the third Minister also who is here because he is taking a lot of interest in this Bill (*Interruption*) that this Bill should be referred back to the same Committee and all the sting that is in it should be removed because in every word of this Bill there is something which will cause some suffering, some misery and some hardship. Therefore, I would say that this Bill should be withdrawn and another Bill should be brought forward in which should be embodied all the constructive suggestions given by the House today.

With these words I thank you for giving me this opportunity.

पंडित ठाकुर दास भाग्य : पेशतर इसके कि मैं इस बिल पर अपने विचार प्रकट करूँ, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ और वह यह है कि चूंकि इस बिल के कंसिड्रेशन (विचार) के दौरान मैं सिलैक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के मेम्बरान ने बहुत सी शहादतें सुनीं, और बहुत से स्थानों को जाकर देखा और बहुत से दूसरे ग्रामर की तरफ तबज्जह दी और उस दौरान मैं कई ऐसी चीजें हमारे नोटिस में आईं जिनका कि मैं आज जिक्र करूँगा और कोशिश करूँगा कि किसी तरह की तलखी मेरे कहने में न आए लेकिन मुम्किन है कि जो नक्शा मैं खींच उससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। इस वास्ते शुरू में ही मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ तो मेरा मंशा किसी के खिलाफ जाती तौर पर कुछ कहने का नहीं होगा और न ही मैं किसी को नाराज करने की गरज से ही ऐसा कहूँगा। मैं एक

और भी बात कह देना चाहता हूँ। इस बिल के इन्चार्ज मेरे दोस्त सरदार साहब हैं लेकिन यह चीज बिल्कुल भी उनकी नहीं है। मेरे ख्याल में यह बिल मेरी मोहतरिमा बहन राजकुमारी भ्रमृत कौर का है। उनकी खिदमत में मैं खास तौर से अर्ज कर देना चाहता हूँ कि उनके लिए मेरे दिल में बड़ा प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है। यह प्रेम और श्रद्धा इस वास्ते नहीं है कि वह आज मिनिस्टर है बल्कि इस लिए है कि वह महात्मा गांधी जी के साथ बहुत अर्ज तक एसोसिएटिड (सम्पर्क में) रही हैं और जो भी महात्मा जी के साथ एसोसिएटिड रहा है, उसके लिए ही हमारे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है। उस जमाने में मैं और मेरे बहुत से दोस्त शायद मैम्बर पार्लियामेंट (संसद) भी नहीं थे ताहम वह हमारी इज्जत की मुस्तहिक (अधिकारिणी) हैं।

मेरा ख्याल है कि जो कुछ मैं कहूँगा सरदार साहब उसका बुरा नहीं मनायेंगे। मैं यह भी कह देना अपना फर्ज समझता हूँ कि शरणाथियों के मामले को ले कर जब भी मैं उनकी खिदमत में गया या उनके डिपार्टमेंट की खिदमत में पेश हुआ तब उन्होंने हमारी मदद की और उनके डिपार्टमेंट ने हमारी मदद की। इर वास्ते जो कुछ भी मैं कहूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको हमपरसनल तरीके से लिया जाए। सरदार साहब के साथ मेरी और भी तरह से हमदर्दी है। लेकिन फिलवाकया मैंने एक कहानी सुनी है कि जो कुकू (कोयल) होती है वह अपने अंडे किसी दूसरे के घोंसले में जाकर रख देती है

श्री त्यागी : कोयल के घोंसले में रखती है।

पंडित ठाकुर दास भाग्य : जो भी हो, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह मामला इस मिनिस्टर का नहीं है और इसका इससे कोई बास्ता नहीं है। यह मामला गाडगील

साहब के वक्त का है और जब मैं गाडगील साहब का नाम लेता हूँ तो मुझे गलगल अश्वोरेंसज (आशवासन) की याद आ जाती है। ताहम इस मिनिस्ट्री का उससे कोई वास्ता नहीं है। इस मिनिस्ट्री ने जितनी चाही, मदद भी की। लेकिन फिर भी जितनी मदद होनी चाहिये थी उतनी नहीं की। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बेहतर होता कि यह सारा मामला हार्जिसिंग मिनिस्ट्री (आवास मंत्रालय) के पास जाता और हमारी बहन के हाथ में ही लिंग बाम एप्लाइ करने वाले ही महकमे रहते। जो मेडिकल साइंसिस हैं और जो ही लिंग बीज है वही उनके महकमे में रहते और वह हमें बतातीं कि मलेरिया को हिन्दुस्तान से दूर कर दिया है। लेकिन उनके मातहत कई एक महकमे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं इससे मृतमैइन (संतुष्ट) नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ—जैसा कि अभी हमारे दोस्त शर्मा साहब ने फ़रमाया—कि दरअसल यह महकमा चन्द महकमों का मजमूआ नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक अलाहिदा महकमा होना चाहिए था। अगर उसके लिए एक अलाहिदा बिल लाया जाता और अलाहिदा दफ़ात होतीं और एक एडवाइज़री बोर्ड बनाया जाता, तो हम इस पर गौर करते। मुझे यह कहने में ज़रा भी ताम्मुल (आपत्ति) नहीं है कि मैं इस अश्वोरेंस के मामले को प्रीजुडिस से देखता हूँ और वह इस लिए इसकी जो पिछली हिस्ट्री है, जिस तरह यह मामला आया, जिस तरह इन ऐक्ट्स पर अमल हुआ। उन को हम भूल नहीं सकते हैं। उस सारे background को हम नज़र-अन्दाज़ नहीं कर सकते हैं, जब कि हम इस बिल पर गौर कर रहे हैं। खसूसन क्योंकि मैं खुद इन assurances का पार्टी था। गरीबनवाज़, यह बिल कोई अपनी किस्म का पहला बिल नहीं है।

Mr. Deputy-Speaker: I am doubtful whether the Chair in a democratic Parliament should be addressed as gharibnawaz.

श्री बुलेकर (जिला शांसी-दक्षिण):
अदालत की याद आ गई है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नहीं, अदालत की याद नहीं आई है। जनाब, मैं यह लफ़्ज़ सोच-विचार कर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गरीबनवाज़ न कहूँ, तो किस को कहूँ ?

उपाध्यक्ष-महोदय : यह कचहरी तो नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह कचहरी नहीं, लेकिन यह जगह तो उससे भी बड़ी है। अगर गरीबों का कोई मुहाफ़िज़ (रक्षक) है, तो वह यह पालियामेंट है और इस पालियामेंट का कोई मुहाफ़िज़ है, तो वह स्पीकर (अध्यक्ष) और डिप्टी स्पीकर (उपाध्यक्ष) है।

उपाध्यक्ष-महोदय : खैर, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब, मैंने सिर्फ़ एक बार गरीबनवाज़ कहा है। मैं तो उस लफ़्ज़ को दो बार कहना चाहता हूँ—गरीबनवाज़ स्वभाव्यर कहना चाहता हूँ। जनाब, क्यों हमारे स्पीकर साहब जमना बाज़ार गए ? उससे उनका क्या वास्ता था ? वहाँ तो कोई पालियामेंट नहीं हो रही थी। और, जनाब, आप भी जब कोई दुख महसूस करते हैं, तो आप भी स्पीच देते हैं। डिप्टी स्पीकर तो कम बोलते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, फ़िलवाके पालियामेंट से बड़ा गरीबों का मुहाफ़िज़ कोई नहीं है और पालियामेंट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से कोई बड़ा मुहाफ़िज़ अवाम और पालियामेंट के हकूक का नहीं है।

जनाब जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, वह यह बिल किस तरह आया, यह एक बड़ा मौज़ू सन्फ है। १९४७ में ब्राउ लाल धरणाई अपने घरों को छोड़ कर,

[पंडित ठाकुर दास भागवंद]

बेसरो-समान होकर यहां आए। उन शरणार्थी भाइयों की, जिनकी कबरों पर हिन्दुस्तान की स्वराज्य हासिल हुआ है, उस वक्त की हालत का जरा अन्दाजा लगाइये। उस वक्त दिल्ली की कुल आबादी पांच लाख के करीब थी, जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया है। दिल्ली की जमीन और मकान उस वक्त इतने महदूद थे कि इतनी बड़ी आबादी को जगह नहीं दी जा सकती थी। लेकिन हमारी वेलफेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर और सरदार पटेल ने उनके लिए इस कदम कोशिश की, उनके साथ इस कदम हमदर्दी जाहिर की, जो कि उन्हीं का हिस्सा थी। उस वक्त पचास लाख आदमी इधर से उधर गए और पचास लाख उधर से इधर आए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उस वक्त एक करोड़ आदमियों का इधर से उधर और उधर से इधर लाना ले जाना कोई खाला जी का घर न था। लेकिन उस वक्त स्टेट के सारे रीमोसिज (संसाधन) इस काम पर लगा दिए गए, ताकि हमारे भाइयों को यहां आने में सहायता हो और यहां पर भी उनको सहूलियत हो। उन दिनों मैं एक मुकाम पर गया और वहां पर शरणार्थियों से मिला। उन्होंने मुझे कहा कि पंडित नेहरू ने हमको जीवन-दान दिया है हमको दोबारा जिन्दगी दी है और अगर वह हमारी मदद न करते और हम खाम हो जाते। एक साल के बाद मैं फिर उसी मुकाम पर गया और लोगों ने मुझे कहा कि पंडित नेहरू हमको यहां पर ले तो आए, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा हमको एक-एक इंच जबहा करने के लिए—तिल तिल कर भरने देने के लिए किया? लखनऊ के इमामवाड़े के एक मुजावर का यह कहना मुझे याद आता है कि परमात्मा ने हमको आब-हयात (अमृत) बख्शी है, हम इतने गरीब हैं, लेकिन परमात्मा हमको मौत नहीं देता। यह उनके मांगने का तरीका था।

जिस वक्त यहां पर आठ लाख शरणार्थी आए, उस वक्त दिल्ली में और उसके आस-पास जमीनों की क्या हालत थी? आज तो हमको वहां पर महल दिखाई देते हैं, लेकिन उस वक्त वह जगह एक किस्म की भोपन लैंड्रिन थी और कई किस्म के दरिन्दे और कुत्ते-बिल्लियां वहां पर फिरती थीं। उन आठ लाख आदमियों में से कुछ ने अपनी औरतों के जेवर, बेचे, अपने हाथों से मिट्टी खोदी और गारा बनाया और अपने रहने के लिए मकान खड़े किए। उन्होंने सैल्फ-हेल्प के जरिये मकानात बनाने शुरू किए और यह नहीं देखा कि वह जगह किस की है। वे जमीन इम्प्लूवमेंट ट्रस्ट की भी थीं, म्यूनिसिपल कमेटियों (नगरपालिकाओं) की भी थीं और प्राइवेट आदमियों की भी थीं। लेकिन सवाल है कि वे लोग क्या करते? मैंने पहले भी एक मौके पर इस बात का जवाब दिया था कि इंडियन पीनल कोड (भारतीय दंड संहिता) का दफा १०५ मुझे इस सवाल का जवाब देती है। और वह यह है कि जिस वक्त किसी इन्सान पर आफत पड़े और उसकी मौत का सवाल हो, तो उसको अस्तियार है कि वह दूसरे की मौत वाकया कर दे।

Self-preservation is nature's oldest law.

वे लोग यहां पर आए और उन्होंने यहां पर कुछ मकान बनाए। इसके बाद सब-इंस्पेक्टर साहबान और म्यूनिसिपल कमेटियों ने वहां झगड़ा शुरू किया और कहा कि ये लोग कैसे दूसरों की जमीन पर बगैर इजाजत के मकान बनाते हैं? इस पर डिप्टी कमिश्नर (उप-प्रायुक्त) ने हुकम दिया कि इन मकानों को कायम रहने दिया जाय और इनको गिराया न जाय। श्री मोहन लाल सबसना ने भी हुकम दिया कि इन मकानों को रहने दिया जाय और तीन बरस तक ये मकान रहेंगे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि कमेटियों की कनाईवेंस (मर्जी), एक्वीटिस (स्वीकृति) और कनसेन्ट (अनुमति)

श्रीर भाने चल कर सैक्शन और एक्टिव एवेंटमेंट से बे मकानात बने। बनने के बाद लोगों को कुछ दिक्कत पेश आई, तो सवाल उठा कि इस बारे में क्या किया जाय। अभी श्री डी० सी० शर्मा ने एक बात की तरफ हाउस की तबज्जह दिलाई है और वह यह है कि उन्होंने एक्वशन (बेदखली) के मायने उसके भ्रसली मायनों से ज्यादा वसी लिए। एक्वशन से पहली हालात थी रीहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की। रेफ्यूजी को पहले तो गेनफुल एम्प्लायमेंट चाहिए। मकान का सवाल तो बाद में आता है। दिल्ली एक ऐसी जगह है, जहां पर लाहौर और दूसरे बड़े-बड़े शहरों के लोग आकर बसे और यहां पर उनको गेनफुल एम्प्लायमेंट (लाभदायक नौकरी) मिली। उन्होंने मकानों की परवाह नहीं की। इसी लिए यहां पर सड़कों के किनारे खराब और निकम्मे मकानात खड़े हो गए। बाद में मकानात का सवाल उठा और झगड़ा शुरू हुआ। ऐसे हालात में, गरीबनबाज,—आप मुझे माफ करेंगे, जनाब, मैं यह लफ्ज दोबारा अर्ज कर रहा हूँ—१९४७ का पहला एक्ट (अधिनियम) आया। उसमें गवर्नमेंट ने वेट नहीं दी, लेकिन हमारे लिए वह वेट ही थी। उस वक्त कहा गया कि शरणार्थियों को हाउस (आवास देने) करने के लिए हमने लोगों के मकान रेक्विजिशन (अधिग्रहण) करने हैं और इसके लिए हम तैयार थे। मैं तो समझता हूँ कि अगर उनके लिए कुछ और भी मस्लन Quarters की जरूरत होती तो मुझे पूरा यकीन है कि यह सदन उसकी स्थापना दे देता। इसके साथ ही मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सब बिल, जो कि आज ला आफ दि लैंड हैं, जो आडिनरी ला आफ दि लैंड है, उसमें एक्स्पान हैं। यह इमरजेंसी लेजिस्लेशन (आयातकालीन विधान) है, जो कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है। १९४७ का एक्ट सिर्फ दो बरस के लिए पास किया गया था और इस बात की इजाजत दी गई थी कि अगर और जरूरत हुई तो एक बरस के लिए और उसको बढ़ाया

जा सकता है। आज यह समझा जाता है कि यह गवर्नमेंट का हक है कि वह इस सदन से इस किस्म का कानून पास करा ले। खैर, १९५० में उस एक्ट को अमेंड (संशोधित) करने की एटेंप्ट (प्रयत्न) हुई और सरदार बलदेव सिंह एक एक्ट लाए, जिस में ग्राम तीर पर मिलिटरी एक्सीजेंसीज (सैनिक आवश्यकताएं) —जरूरियात—का ज्यादा अधि-जन था। वह एक्ट भी पास ही गया। उसके बाद तीसरा एक्ट आया, जो कि १९५१ का ५९ नम्बर का एक्ट था। इस बिल पर अपनी स्पीच के दौरान मैं जैसे सरदार साहब ने फरमाया था कि यह बहुत छोटा सा बिल है, और यह बिल कंटेन्स नहीं है। इसी तरह से उस बिल के बारे में गाडगिल साहब ने कहा था कि यह बिल बहुत छोटा है और आज ही खत्म ही जायेगा। वह बिल था भी छोटा सा। लेकिन उस बिल में और इस बिल में इस कदर यकसानियत (समानता) है कि मुझे यह कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं कि ये दोनों बिल निहायत कम्प्लीकेटेड (जटिल) और दूर जाने वाले हैं। जब वह बिल हाउस में आया तो उस पर तीन दिन तक बहस होती रही, यानी २६ और ३० नवम्बर को और १ दिसम्बर को। वह बिल इतना कंटेन्स (विवाद-स्पद) था कि अगर वह आज भी हाउस में आता तो उसकी उतनी ही मुसालिफत होती जितनी कि उस वक्त हुई थी और शायद वह आज पास भी न होता। वह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया और मैं ही वह बदकिस्मत शख्स था जिसकी तहरीक पर वह सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर हुई बदकिस्मत इसलिय कि assurance जो हमने कबूल किये उन पर अमल नहीं हुआ। उस सिलेक्ट कमेटी ने आठ दस महीने तक उस पर गौर किया। उस सिलेक्ट कमेटी में आनरेबिल मिनिस्टर साहब, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार-व्यास) के नुमायन्दे, डिप्टी कमिश्नर साहब बगैरह ने हिस्सा लिया था, और हमने उस में कुछ इस तरह के बेंज किये कि जिनकी

[पंडित ठाकर दास भागव]

बिल से उसमें जितनी खराबियां थीं वे हमारे स्थान से दूर हो जायें। उसके बाद हमने उसको मंजूर कर लिया। वह बिल बहुत ड्रास्टिक था। किसी लेजिस्लेचर (विधान मंडल) को इतना ड्रास्टिक (क्रान्तिकारी) बिल (विधेयक) पास नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी खास जरूरत ही लाहक न हो।

मैं यहां पर एक बात और साफ कर देना चाहता हूं। वह यह कि मैं आक्टूकानिस्ट (भाषा पैदा करने वाला) नहीं हूं। आप कितना ही ड्रास्टिक बिल लायें, लेकिन अगर मुझे यह तसल्ली हो जाये कि यह देश के भले के लिए है तो मैं उसका स्वाद करने को तैयार हूं। इस भवन में हमने ऐसे कानून पास किये हैं जिसके मुताबिक निहत्थे लोगों पर आसमान से गोले गिराये जायें, तो भी बाजिब है लेकिन अगर वह देश के भले के लिए हो तो हमने मंजूर किया और अब भी करेंगे। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के कानून की जरूरत न हो तो मैं नहीं चाहता कि वह पास किया जाये। मैं अपने देश के डिमोक्रेटिक सेंट अप को इतना अच्छा देखना चाहता हूं जितना अच्छा कि दुनिया में कहीं न हो। तो हमने उस बिल को पास किया, लेकिन जो हमको एश्योरेसेज दिये गये थे उनकी बिना पर हमने उस बिटर बिल को हज्म किया।

इस बिल के अन्दर दो चीजें आती हैं। एक तो एश्योरेसेज का जिक्र आता है और एक स्लम एरिया का जिक्र आता है। मैं अब से अर्ज करना चाहता हूं कि जो एश्योरेसेज हमको दिये गये थे उनको हमने कबूल किया। मैं उनको यहां पढ़कर नहीं सुनाना चाहता क्योंकि मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं, और सुनाने में वक्त लगेगा। मैं जनाब की तबज्जह २६ सितम्बर सन् १९५१ की प्रोसीडिन्स की तरफ दिलाना चाहता हूं।

उन एश्योरेसेज के बाद वह बिल साढ़े ६ बजे के करीब पास कर दिया गया। उस सिलसिले में मूवर आफ दी बिल ने एक छोटी सी स्पीच दी जो कि फैनचुअल थी, और मैंने उसका छोटा सा जवाब दिया। लाला अर्चित राम जी ने भी कुछ कहा, और फिर उसे उसी वक्त पास कर दिया। लेकिन उस वक्त जो थोड़ी सी बातें कही गयी थीं वे जनाब की खास तबज्जह की मस्तहक हैं। मैं उन बातों को पढ़कर नहीं सुनाना चाहता। मैं मुस्तसिर में उनको कहे देता हूं। उस वक्त हमने गाडगिल साहब से यह कहा था कि इन दस महीनों में इधर तो आप हमसे बातें करते रहे और उधर आपके हाकिम लोग लोगों के मकान गिराते रहे। यह नामुना-सिब था कि एक तरफ तो राजीनामे की बात की जाती रहे और दूसरी तरफ लोगों के मकान गिराये जायें। उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि सात दिन के अन्दर आप इसको इफेक्टिव (लागू) कर दें ताकि जो तीन चार हजार मकान आप बचाना चाहते हैं उनको रेगुलराइज (विनियमित) कर दिया जाये जिनके वास्ते गवर्नमेंट को ३० लाख रुपया भी मिल जाता। उस वक्त मैंने यह अर्ज किया था कि इलेक्शन (निर्वाचन) नजदीक आ रहे हैं, जैसा कि इस वक्त भी होने वाला है, आप इलेक्शन्स में मसफ हो जायेंगे और वक्त नहीं रहेगा, और जो हाकिम लोग हैं वह पीछे ठीक काम नहीं करेंगे। उस वक्त मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं अपने लफज देता हूं कि भेरे जितने हाकिम लोग हैं वे उसी स्पिरिट से काम करेंगे जैसे कि मैं करता हूं। जनाब वाला, इस एश्योरेसेज के बाद वह बिल दो मिनट में पास हो गया। मुझे अफसोस होता है कि उस वक्त हमने यह बेवकूफी क्यों की। हमने उस वक्त नहीं सोचा कि मिनिस्टर को हम जानते हैं, उसके अल्फाज पर हम यकीन कर सकते हैं, लेकिन हाकिमों पर तो हमारा कोई काबू नहीं है। आज सरदार साहब भी कहते हैं कि वह एडवाइजरी बोर्ड बनायेंगे। मुझे यकीन है कि

वह बनायेंगे। हमारी बहिन ने हमको यकीन दिलाया है कि वे ठीक हो करंगी और मैं मानता हूँ कि वे बेशक ठीक करंगी। लेकिन बिल के अन्दर यह क्यों नहीं दे दिया जाता। मैं जानता हूँ कि सेंट्रल मिनिस्ट्री (केन्द्रीय मंत्रालय) के अन्दर करप्शन नहीं है लेकिन हम इस बात को दरगुजर नहीं कर सकते कि देश के अन्दर खूब करप्शन (अप्टा-चार) चल रहा है, और हमारे मिनिस्टर साहबान यहां बैठकर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने देखा कि कितने खूबसूरत एव्योरेंसेज हमको दिये गये थे, लेकिन बाद को उनकी किस तरह से धजियां उड़ा दी गयीं। अगर उस कहानी को हाउस के अन्दर बयान किया जाये तो उसे सुनकर हाउस को बहुत रंज होगा। मैं उनकी डिटेल्स (ब्योरे) में नहीं जाना चाहता। हम सरदार साहब की खिदमत में गये, उनके सेक्रेटरी साहब की खिदमत में गये। उन्होंने हमारे साथ हमदर्दी बाहिर की। उन्होंने अहकाम भी जारी किये लेकिन उनमें से एक को भी तामील नहीं हुई। हम श्री अजित प्रसाद साहब की खिदमत में गये। उन्होंने कहा कि ठीक है हम यह काम करेंगे। उन्होंने भी कोशिश की लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। आज शर्मा साहब ने अर्ज किया कि न जाने इसमें कितनी आघारिटीज हैं। बमूजिब उनके कहने के चार आघारिटीज (प्राधिकारी) थीं जो कि मकान गिराने के पीछे थीं, इविक्ट करने के पीछे थीं, और एक आघारिटी थी लोगों को आल्टरनेटिव (वैकल्पिक) एकोमोडेशन (आवास) देने के लिए। रिपयूज का तो कहना ही क्या, हम लोगों तक को जो कि उनकी मदद करना चाहते थे यह पता नहीं चला कि हम किस जगह जायें अपनी रेमेडी के लिए। हमको पता नहीं था कि हम किस जगह रोने पीटने जायें। यह आखिरी दिन तक पता नहीं चल पाया कि कौन इन एव्योरेंस के मुताबिक कार्रवाई करेगा क्योंकि मिनिस्ट्रीच तक को पता नहीं था कि किसने

एव्योरेंस दिये हैं और क्या दिये हैं। कितने ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट ने ही एव्योरेंस दिये हैं और गवर्नमेंट के दफतर वालों को ही पता नहीं कि यह एव्योरेंस क्या बला है। मैं यह बात अपने तजबों की ही नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको रिटिन एवीडेंस दिखला सकता हूँ कि इन एव्योरेंसेज की यह सूरत बनी।

एक दफा पहले हमारी बहिन ने यहां कहा था कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जहां तक ताल्लुक है उसने कोई मकान नहीं गिराये और मैं समझता हूँ कि अब भी उनक जहन में यह बात है कि मकान गिराने में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधार न्यास) का कोई हाथ नहीं था। लेकिन मैं रिकार्ड से और मिनिस्ट्री के खुद के स्टेटमेंट्स (विवरण) से दिखला सकता हूँ कि कम से कम ६०० मकान उनके मार्फत गिराये गये। जो तकलीफ हमको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने दी है उसके मुताल्लिक एक दफा पहले भी हमने यहां कहा था कि दिल्ली में अगर कोई कर्स है तो वह दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है और मैं इसको फिर दुहराता हूँ व्हाह किसी के दिल को इससे ठेस लगे। क्या किया इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने। मैं आपको दो किस्से सुनाता हूँ एक जगह यहां पर है झंडावाला ई० जिसको हमने सन् १९४८, १९४९ और १९५० में जाकर देखा जिसका जिक्र डा० टेकचन्द साहब की स्पीच में भी है। उसमें लिखा है और मेरा नाम भी उसमें लिखा हुआ है। हमने वहां पर जाकर देखा और पक्के मकान बने हुए देखे। वहां सब कुछ देखा और ऐसे पक्के अच्छे मकान वहां पर बने हुए थे जो कि गवर्नमेंट के बनाये हुए मकानों से भी अच्छे थे। श्री टेकचन्द ने डिस्क्रिप्शन (विवरण) दिया है कि उन मकानों के अन्दर शरणाधीन लोग रहते थे और हमने उन मकानों को जाकर देखा। जिस मुसीबत से उन्होंने उनको बनाया था वह उन्होंने हमसे बयान किया। उनको मिनिस्टर साहबान ने भी जाकर देखा।

2 P.M.

एक एव्योरेंस यह था कि हम किसी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मकान को गिरने नहीं देंगे जब तक कि दो शर्तें पूरी न हों, एक तो सेक्टर वाइज प्लान (खण्डानुसार योजना) बना हो और दूसरे उसका गिराना बिल्कुल लाजिमी न हो जाय। अब उसका मकान गिरा देने के लिए कितना मुआविजा दिया जाय, यह तो मामूली बात हुई और इसको छोड़ दीजिये कि उसको क्या मिलेगा, मैं उसकी पर्वाह नहीं करता लेकिन जिस चीज की मुझे सख्त शिकायत है वह यह है कि वह जमीन आज वैसी ही खाली पड़ी हुई है। जिसके कि ऊपर पक्के मकानात बने हुए थे वह जमीन खाली पड़ी हुई है और आज तक उस जमीन को इन शरणार्थियों को नहीं दिया गया। मैं इसके खिलाफ शिकायत इसलिए करता हूँ कि वहाँ जितने मकानात बने थे, उन मकानों की एक एक ईंट उन ऐश्वोरेंसेज से पवित्र और मजबूत बन गई थी लेकिन यह बहाना करके कि यहाँ पर हम अच्छे महल बनायेंगे और उनमें लोगों को बसायेंगे, वह जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने पुनर्वास मंत्रालय को दे दी। हमारे मकानात गिरवाये गये ताकि उन लोगों की कर्बों पर महल बनाये जायें और उनके अंदर लोग बसाये जायें। अगर कोई उनको बसाने की स्कीम या तजवीज थी तो उसको अमल में लाना चाहिए था और अगर ऐसा होता तो मेरी समझ में उनका यह गिरवाना भा सकता था। लेकिन उन पक्के और कच्चे मकानों को गिरा कर वहाँ की आधी जमीन पुनर्वास मंत्रालय को दी जाय कि वह मकान बनवा कर लोगों से किराया वसूल करे या इतने रुपये में उन मकानों को उनके हाथ बेच डाले, तो इस तरह की दुर्गति हमारे शरणार्थी भाइयों की बनाई गई है। मेरी अदब से शिकायत यह है कि हमारे भाइयों के जो सैकड़ों कच्चे मकान सारे दिल्ली में बने हुए थे, उन कच्चे मकानों की कोई वृत्त नहीं की गई और गाजर मूली की तरह सरकार ने उनको ट्रीट किया। मैंने उस समय कहा था और हमारे गाडगिल साहब रोज कहते हैं कि हम कैपिट-

लिज्म (पूंजीवाद) को जीरो (समाप्त) कर देंगे। गाडगिल साहब ने फरमाया था कि हम अमीर आदिमियों को नहीं देखना चाहते। मैंने उनसे अर्ज किया था कि अगर यह दुस्त है तो गरीब आदिमियों के कच्चे मकान जिनको उन्होंने बहुत मुसीबत उठा करके बनाया है और जो कि उन गरीबों को जान से प्यारे हैं उन कच्चे मकानों को बचायें लेकिन हमने देखा कि गरीब आदिमियों की कोई पर्वाह नहीं की गई और इसका कोई अहसास नहीं किया गया कि गरीब आदिमियों को यह कच्चे मकान कितने अजीब हैं, ४३५ मकान बिना वजह गिरा दिये गये। मैं इसलिए शिकायत नहीं करता कि उन्होंने इस वजह से उनको गिरा दिया कि हमारे भाइयों को तकलीफ हो, शायद नैकनीयती से उन्होंने उन मकानों को गिराया हो या यह समझ कर गिरा दिया हो कि इन स्लम्स (गंदी बस्तियों) को साफ करके यहाँ पर अच्छे और पक्के मकान सरकार बनवाये, उनके वास्ते अच्छे और बड़े मकान बनवा दे, यह ख्याल दुस्त है या गलत है मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे नुक्तोनिगाह से जो हमने ऐश्वोरेंस दिया था उसके यह रवैया सख्त खिलाफ था और यह निहायत ही नावाजिब बात थी कि उन मकानों को बिना उनकी मर्जी के गिराया जाता जो कि उनके मालिकान थे लेकिन वह गिरा दिये गये।

मैं आगे बढ़कर आपको बतलाना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे मरहूम स्पीकर साहब जिनके कि दिल में शरणार्थियों के लिए बड़ा ददं था, उन्होंने शरणार्थियों के वास्ते एक कमेटी बनाई जिसका कि नाम ऐश्वोरेंस कमेटी (आशवासन समिति) था। इस पर मैं पीछे जिक्र करूंगा कि उस ऐश्वोरेंस कमेटी ने क्या काम किया लेकिन एक बात जनाब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि उस ऐश्वोरेंस कमेटी ने सारे मामले में जाकर फैसला दिया कि ऐश्वोरेंसेज की खिलाफबर्जी की गई है और उनको तोड़ा गया है। कमेटी की एक

सिफारिश यह थी कि यह जो आपके पास झंडेवाला न के पास मकानात को गिरा कर जो जमीन खाली पड़ी हुई है वह उन लोगों को नो प्राफिट नो लीस बेसिस पर दे दी जाय जिनके कि मकान गिराये गये हैं लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि वह ऐश्वर्यस कमेटी जो कि इस हाउस की रिप्रेजेंटेटिव (प्रतिनिधि) कमेटी है उसने जो सिफारिश की थी उसको आज तक किसी ने उठा कर नहीं देखा कि ऐश्वर्यस कमेटी ने क्या लिखा था। वह जमीन वहां पड़ी है और वह वहीं पड़ी रहेगी। मेरे भाई श्री नवल प्रभाकर फरमाते थे कि शायद उसको ४०, ५० रुपये पर याई पर बेचने का खयाल किया जा रहा है। इसके सिवाय मैं आपको बतलाऊं कि एक वक्त में मुझे इस बिल की सेलेक्ट कमेटी का चेअरमैन होने का फल्य हासिल हुआ और हमारे सामने चार, पांच रेफ्यूजीज असोसिएशंस (शरणार्थी संस्था) के नुमायन्दे आये और हमारी कमेटी ने उन की तमाम बातों को बहुत ध्यान से सुना और उस मौके पर तकरीबन हर डिपार्टमेंट (विभाग) के नुमायन्दे मौजूद थे और हमारे सरदार साहब और हमारी बहन भी गालिबन मौजूद थीं। उस सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग में आखिर में सबकी रजामंदी से हमने एक सुझाव दिया। हमने कहा कि जो होना था सो हो चुका। मैं उनकी नीयत पर शूबहा नहीं करता जिन्होंने कि उन मकानात को गिरा दिया ताहम अब यह वक्त है कि आप कम से कम इतना तो करें कि उन भ्रादरियों को जो वहां पर थे उनसे क्रियत लेकर उनको जमीन दे दें। जो कुछ मैंने अर्ज किया था वह बहसियत कमेटी के चेअरमैन के किया था और उस पर कोई तबज्जह नहीं दी गई, इसकी मुझे शिकायत है। मुझे इस बात की शिकायत है कि हमने ऐश्वर्यस के टूटने के बाद उनको मरम्मत करने की सालबैज करने की कोशिश की और उसको टुस्तल करने के वास्ते कुछ सुझाव भी दिये लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि उन सुझावों

की तरफ किसी क्रिम की तबज्जह गवर्नमेंट ने नहीं दी। मैं आज इस हाउस में फिर अभील करना चाहता हूं कि अगर आप उन दिनों पर जिनको कि आपने अपने फील से जश्मी किया है फिर मरहम लगाना चाहते हैं और उनको इस तरीके से नहीं देखना चाहते कि वह किसी ग्रैर मुल्क से आये हुए हैं बल्कि अपने ही भाई लोग हैं तो आपके लिए कम से कम यह वाजिब है कि आप उस जमीन से पैसा मत पैदा करने की कोशिश कीजिये और उसके टके मत उठाइये। इस वेलफेयर स्टेट और इस कांफ्रेंस हुकूमत जिसको कि हम सब पूजते हैं और इज्जत करते हैं और जिसको कि हम कायम रखना चाहते हैं, उसकी शान का तकाजा है कि आप वह जमीन उन्हीं लोगों को वापिस कर दें जिनके कि घर आपके हुकामान ने गलती से गो नेकनीयती से उजाड़े थे और उन लोगों को फिर वहाँ पर बसा दें और अगर आप ऐसा करेंगे तो यह एक लैडमार्क साबित होगा और सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापिस आ जाय तो भूला हुआ नहीं कहलाता। अब जहां तक कि यह सवाल है कि यह किस की तरफ से किया गया तो उस कमेटी के रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि दिल्ली इम्पूवमेंट ट्रस्ट ने ऐसा किया और उसके वास्ते खुद मिनिस्टर साहब जिम्मेदार हैं। एक वाक्या तो मैं आपको खिदमत में अर्ज कर चुका। इसके अलावा मैं आपको बतलाऊं कि फैंज रोड के इलाके में मैं सरदार साहब को ले गया और हमारी हमदर्दी की वजह से उन्होंने खुद जाकर वह जगह देखा और उन्होंने हमको सलाह दी कि भाई तुम लोग इम्पूवमेंट ट्रस्ट में जाकर मकानों का नक्शा दाखिल करो और लोगों ने उनके कहे मुताबिक ५ हजार और १० हजार रुपये सर्फ करके नकशे दाखिल कर दिये। इम्पूवमेंट ट्रस्ट ने कहा कि सब अपने अपने नकशे दाखिल कर दो हम उनको रेगुलराइज (विनियमित) करेंगे और लोगों ने काफी-काफी रुपये खर्च करके अपने मकानों के नकशे दाखिल किये ताकि उनको रेगुलराइज किया जाय।

[पंडित ठाकुर दास भागव]

लेकिन वह सबके सब नक़्शे कहाँ है ? आज इनको कहीं किसी रेकार्ड रूप में, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, के, दोमक चाट रही है या चाट चुकी होगी, कोई परवाह उनकी नहीं की गई। खयाल था कि जब एक मामला गवर्नमेंट ने तय कर दिया था और इस हाउस की मोहर उस पर लग चुकी थी, जो कि एक सावरेन बाड़ी है, तो मकानात को रेगुलराइज कर दिया जायेगा। लेकिन वह तो तब होता जब उनकी नियत होती। गाडगिल साहब का जमाना गया, सरदार साहब उनको जगह तशरीफ लाये, गाडगिल साहब के जाने की जब खबर हुई तो मुझे रंज हुआ क्योंकि पता नहीं था कि क्या होगा, शायद ऐसा सिम्प्येटिक (सहानुभूतिशील) आदमी न मिले। लेकिन सरदार साहब के जाने से मुझे थोड़ी तसल्ली दिल में हुई। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा कि वह कमेटी थी, उसको बुला कर ऐश्योरेसिज को ठीक कीजिये। लेकिन बदकिस्मती कि उससे पहले यह मामला दिल्ली स्टेट को ट्रांसफर हो चुका था या इन दि कोर्स आफ ट्रांसफर (हस्तान्तरण के समय) था। वहाँ पर दिल्ली स्टेट के मिनिस्टर साहब तशरीफ लाये और हमें यह यकीन दिलाया कि जो सरकार का हुकम होगा वह उसे करेंगे। यकीन तो दिला दिया, नोट भी स्टेट्समैन में निकला, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने नक्शे भी मंगवाये, यहाँ तक सब कुछ बड़ा तसल्लीवक्खा था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वह ऐसी दर्दनाक कहानी है कि उसको बयान करते हुए मेरा दिल तड़पता है। गरीब नवाज, रात के ११ बजे पुलिस की लारी लेकर, पुलिस के सिपाही लेकर, पूरी स्क्वैड लेकर, लोगों को घर्ने को पहुँच गये, उनको निकाल दिया गया। और यहाँ से सात, आठ मील दूर खुले जंगल में छोड़ आया गया। यह हमको अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन (वैकल्पिक आवास) दी गई। यह मामला ऐसा नहीं है जो कि मैं सुना सुनाया कह रहा हूँ, मैंने खुद वह जगह जा कर देखी है वहाँ सिफ एक

खेमा लगा हुआ था। वह अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन दी गई है। जिस समय अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन की बात रखी गई तो यह ऐश्योरेस दिया गया कि हम अल्टर्नेटिव ऐश्योरेस सब कहेंगे जब जिसको निकालना उसको पहले वहाँ बैठा दिया जाय और इतनी जमीन दी जाय कि वह मकान बना ले, उसके बाद उसको अपने घर से हटाया जायगा। यह अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन की तारीफ में दर्ज है ऐश्योरेस में।

जनाब वाला, एक मकान ४०,००० रु० कीमत का था उसके मालिक १५ दिन की मोहलत मांगी, अभी ७ या ८ दिन ही हुए थे कि उसके यहाँ पुलिस के आदमी जा पहुँचे और मकान को गिराना शुरू किर दिया और ४०,००० रु० के मकान को तहस-नहस कर दिया। फिर उसे दिया क्या गया ? जवाब यह दिया गया कि उसने अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन मांगी नहीं। यह है हमारी अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन का हाल। भला हो हमारे पंडित नेहरू का जिन्होंने अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन की चीज ब्रेन वेव की तरह से अपने दिमाग से निकाली जिससे लाखों आदमियों को राहत पहुँची। लेकिन उनके दिमाग में यह नहीं था, अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन के यह माने नहीं थे जो हमारे प्रहकाम ने दिये। सरकार ने इसकी तारीफ को भी लिख दिया। क्या चीज है अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन हुकाम ने ताबीर की यानी ५०० रु० नकद और १०० गज जमीन। लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की गई। झंडेवाले पर ३ लाख ६५ हजार रु० की मालियत के मकान गिरा दिये गये, दूसरी जगह दो गिराये गये। एक लैंड डेवेलपमेंट आफिस (भूमि विकास कार्यालय) है, पता नहीं कौन सी मिनिस्ट्री का है।

सरदार स्वर्ण सिंह : दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट।

पंडित ठाकुर दास भागव : उनसे पूछा गया, जब यह ऐश्योरेसिज कमेटी बैठी, आप का क्या खयाल है कि कितनी मालियत के

मकान गिराये गये। उन्होंने कहा कि "हमें पता नहीं। हमने नक्शे मंगाये ही नहीं, क्योंकि हमको तो मकान गिराना था, हमें क्या जरूरत कि हम इसका हिसाब रखें कि कितने मकान गिराये गये, हमें किसी का कुछ देना तो था ही नहीं।" उनका यह जवाब रेकार्ड में मौजूद है। इस तरह से हजारों मकान गिराये गये, एक ही नहीं गिराया गया, लेकिन उन सबकी तफसील में नहीं जाना चाहता। कमेटी आफ ऐश्योरेन्सज (प्राइवासन समिति) की रिपोर्ट के सफ़हा ५ पर उन की तफसील दर्ज है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि १५ अगस्त, १९५०, से पहले १३,४०१ मकान थे।

श्री उ० म० त्रिबेदी (चित्तौड़) :
१३,४०१?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी हाँ, १३,४०१, जिनमें से ५२२९ मकान गिरा दिये गये। इसके अलावा हमने जो पास किया था ऐश्योरेन्सज कमेटी के अन्दर उसके अन्दर अरूयार दिया था कि मकान गिराये जा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टरवाइज एक प्लान बनावे, एक कमेटी मुकर्रर कर दे जिसमें कम से कम दो मेम्बर इस हाउस के होने चाहियें थे। फिर अगर वह मकान ऐसा हो जिसका बचाया जाना मुमकिन हो, तो हमने लिखा कि अगर वह म्यूनिसिपल लाज के बरखिलाफ हो, तो उसकी ठीक करा दें और अगर वह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम के खिलाफ हो तो उस स्कीम को माडिफाई कर दें, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके, मकान को न गिरायें।

जनाब वाला को मालूम है और सरदार साहब भी बखूबी जानते हैं कि पंजाब हाई कोर्ट (उच्चन्यायालय) ने १,००० के मकानों को सक्टेन्शाल (साखान) करार दिया पब्लिक यटिलिटी और नैशनल लाज के हिसाब से, यहाँ पर आज लोगों ने नक्शे पेश किये हैं इसकी हमारे पास एक्टिस आर्दी है कि १५,००० तक के मकान एकदम जमीन के बराबर कर दिये गये। हमने कभी किसी मुल्क की हिस्ट्री में, सिवा उन जगहों के जहाँ इनसरे-

क्शन हुआ हो, यह नहीं देखा कि किसी कॉन्स्ट्रक्शनल अथॉरिटी (सांविधानिक अधिकार) ने इस तरह से मकान गिराये हों सिवा इस बदकिस्मत देश के। इसलिये हमने ऐश्योरेन्सज में लिखा कि इन मकानात को ठीक करा लो, लेकिन क्या म्यूनिसिपैलिटी ने कोशिश की? कहीं नोटिस दिया कि इस मकान को ठीक कर दो। इस तरह से किसी स्कीम को गवर्नमेंट ने तबदील नहीं किया। जैसा ऐश्योरेन्सज में कहा था हुकम था कि जिसका मकान गिराओ उसको नजदीक से नजदीक जगह दो और बने मकान को आल्ट-नॉटिव अकॉमोडेशन दो। गवर्नमेंट ने कहीं लोगों को भेजा रमेश नगर। लेकिन कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की, मैं इसका क्या जवाब दूँ जब तक नक्शा न हो कि कितनी जगह पास दी थीर कितनी जगह नहीं। अगर १५ मेम्बरों की कमेटी ने खूब छान-बीन की थीर मैं इस ऐश्योरेन्सज कमेटी को अपना हम्बल ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ कि वह इस नतीजे पर पहुँची कि यह जो क्लेम है कि हमने डेवलपेड नैड दी वह दुस्त नहीं है। यह भी दुस्त नहीं है कि उन्होंने हर एक को अल्टनॉटिव अकॉमोडेशन दी। अगर आप इस कमेटी की फाइंडिंग्स को देखें तो बहुत साफ अल्फाज में लिखा हुआ है, सच्चे और शुद्ध अल्फाज में लिखा हुआ है। मुझे अगर किसी कमेटी में बिठा दिया जाय तो मैं हर्गिज अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कहूँगा, जब तक मैं मजबूर न हूँ कि उसको कंडेम करूँ, इस लिये कि गवर्नमेंट के पीछे हमारी ताकत है, हमारी गवर्नमेंट है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे आपकी तबज्जह इस तरह दिलानी पड़ रही है कि कमेटी ने क्या लिखा है, उसने लिखा :

"The Committee with to place on record that it experienced considerable difficulties in eliciting the requisite information from the various Ministries concerned who, in the initial stages of the enquiry, did not seem to

[पंडित ठाकुर दास भागव]

be very clear about the nature and extent of their responsibility in the matter."

सच बात तो यह है कि जैसा मैंने भ्रजं किया, मिचुएशन (स्थित) के साथ हमारी हम-ददी है, हमने यह ऐशयोरेन्सज ऐसे आदमी से लिये जो मिनिस्टर तो हैं हमारी गवर्नमेंट का, लेकिन वह इस के लिये जिम्मेदार नहीं रहा है इसमें कहा गया था कि जिनके मकान गिराये जायेंगे उनको एक्सप्रेशिया पेमेंट (मुफ्त भुग-सान) किया जायेगा, महज इतना ही नहीं कि अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन दी जायेगी। दोनों चीजें एक दूसरे के साथ बाबस्ता थीं, जिसका जवाब हमें मिलता है, अगर जनाव इजाजत दें, तो मैं पढ़ कर सुना दूँ, दिल्ली स्टेट कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, दूसरी मिनिस्ट्री कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, एंप्रोप्रिएशन फंडस (विनियोग निधि) नहीं है। मेरे ह्याल में इसको डिस्प्यूट (विवाद) नहीं किया जायेगा। यह उन्हीं के पैपर्स में है। जब सेलेक्ट कमेटी में मामला पेश हुआ तो कहा गया कि कोई फंड नहीं है, हम रुपया कहाँ से दें? वह उसूल डिसाइड (निर्णय) नहीं हुए जिन पर एक्सप्रेशिया पेमेंट देना था जब तक कि ऐशयोरेन्स कमेटी नहीं बैठे। आज मैंने सुना है कि कुछ उसूल कायम हुए हैं और कुछ हमें रकमें दिये जाने की तजवीज है। लेकिन जब मैं इसके साथ यह देखता हूँ कि इधर रकमों की तजवीजें हो रही हैं उधर यह सोचा जा रहा है कि किस हिसाब से दें क्योंकि देना लाजिमी था, और दूसरी तरफ हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐशयोरेन्स कमेटी को एक भ्रजंदास्त पेश की गई है कि हम तो एक्सप्रेशिया पेमेंट दे चुके, अब उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में दर्ज है कि किसी को भी एक पैसा नहीं दिया गया और इस चीज की खिलाफत हुई है। ऐशयोरेन्स कमेटी ने कहा कि खिलाफत हुई, लेकिन यहाँ इस चीज को मरोड़ा जाता है। जिस चीज को

अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन कहा जाता है, उसकी कहानी भी आप को सुनाऊंगा, अब कहा जाता है कि यही था एक्सप्रेशिया पेमेंट। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी यह जो एटैम्प्ट है यह व्हाइट वाश (तसल्ली देने) करने की एटैम्प्ट है। अगर गलती हुई है तो उसको मानने में आपकी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उस गलती को दुस्त किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से ऐशयोरेन्सज को व्हाइट वाश (समाप्त) किया जाए यह मुनासिब नहीं है। मुझे मालूम नहीं क्या कमेटी ने कहा इस कोशिश के जवाब में। सारे कागजात पड़े हुए हैं। मैंने सब कुछ देखा है और देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ कि यह डिफेंस इज टू लेम (It is too lame) मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊँ। लेकिन आपका यह फर्ज तो था कि जिस तरह से और जो कुछ कमीटी ने कहा था उसके मुताबिक आप अम्ल करते। लेकिन आपने कोई ऐसी बात नहीं की। आपने किसी बात को भी जो आपने कहा पूरा नहीं किया। मैं जानता हूँ कि झंडेवाला में रुपये पैसे का मामला था और शायद आपने इसे पसन्द न किया ही और आप इसे पसन्द न करते। यह जायज बात थी, ठीक बात थी। मैं अब भी कहता हूँ कि हम एक स्कूल मुकर्रर करते और जो हमने ऐशयोरेन्स दिए थे कि किसी को किसी मकान से बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक फलां फलां शरायत पूरी नहीं होगी और साथ में यह शर्त भी थी कि एक्सप्रेशिया पेमेंट दी जाएगी और अल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन दी जाएगी। आपने इन ऐशयोरेन्सज को तोड़ा ही नहीं है बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि बड़े ही नामाकूल तरीके से तोड़ा है। इतना ही नहीं मैं तो यह भी कहूंगा कि आपने इस पालियामेंट की और गवर्नमेंट की बे-इज्जती की है और मिनिस्ट्री की बे-इज्जती की है। लोगों के अन्दर इससे यह भावना फैली है कि गवर्नमेंट की दी हुई ऐशयोरेन्स कोई मानी नहीं रखती है और इसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। इससे ज्यादा

खतरनाक और क्या चीज हो सकती है। आप जो एश्योरेंस दें उस पर आपको लोहे की तरह से कायम रहना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि यों ही आपने कह दिया होगा। यह चीज मुझे पसन्द नहीं है। मैं इस पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इस लिए मैंने इस पर मुस्तसिर तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। इसी तरह से और भी एश्योरेंसिज भी जिनको आपने निभाया नहीं है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि एक भी एश्योरेंस ऐसा नहीं है जिस पर आपने अम्न किया ही। मेरा ब्याल है कि सरदार साहब जब जवाब देंगे तब वह जरूर उन सब बर्तों की तरफ हमारी तबज्जह दिलायेंगे जो अब फिर दुबारा एश्योरेंसिज कमिटी के सामने आई है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं एंटिसिपेट (प्रत्याशा) करके जवाब दूं। इसलिए मैं इसको छोड़ता हूं। मैं समझता हूं कि सरदार साहब कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो कि गैर-मुनासिब हो। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं।

मैंने अर्ज किया है कि यह तीसरा बिल है। पहला बिल सन् १९५१ का था। इसके बाद एक और बिल आया १९५२ में जिसको हमारे दोस्त भरहूम बुरागोहिन साहब ने पेश किया था और जिसके अन्दर यह जो पहला एक्ट था यह रिपील कर दिया था और उसके अन्दर एक दफा २५ रखी गई और चन्द एक उसूल कायम किये गए और अब यह आखिरी एटेम्प्ट है जो कि उन चन्द उसूलों को इस बिल के अन्दर लाने की की जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में जो धाम उसूल हुआ करता है वह यह है कि जो सिविल राइट हुआ करते हैं उनको हम कोर्ट से डिटरमिन (निश्चय) कराते हैं। सिविल राइट्स को हम एग्जिक्टिव (कायपालिका) की मर्जी पर, उसकी वैगरी पर नहीं छोड़ते और इस चीज की आप सब मुल्कों के अन्दर जहां पर कि ब्रिटिश टाइप आफ डेमोक्रेसी है, पायेंगे। चुनावे धाज हमारे शुल्क में एक मामूली मुकदमे में सरकार मुदई है और दूसरे मुकदमे में

प्राइवेट आदमी मुदई है और सरकार मुदालया है और उसमें उसी तरह से बकीब पेश होते हैं जिस तरह से सिविल प्रोसीजर (व्यवहार प्रक्रिया) के मातहत होते हैं और उसी तरह से केस चलते हैं जिस तरह कि सिविल प्रोसीजर के मातहत होते हैं। अगर सरकार की जमीन पर कोई कब्जा करता है तो उसी तरह से मुकदमा होता है जैसे कि शहरी प्लेटिफ आकर मुकदमा करता है। यह एक उन उसूलों में एक उसूल है जो कि इस नई तरह के लेजिस्लेशन (विधान) धाने से पहले इस देश के अन्दर राज था। जब हमने सन् १९४७ में यह देखा कि सरकार जगह जगह अपने मकान बना रही है और लोग जो उनमें रहने लग गए हैं वे न तो कब्जा देते हैं और न ही पैसे देते हैं तो उस एमरजेंसी का सामना करने के लिए और आठ लाख धादमियों की भासाइश (आराम) के लिए इस कानून को पेश किया गया और इस यहां पर मंजूर किया गया। लेकिन जो उसूल हमने तय किए थे उन पर हम चले नहीं है और न उनको हम ने खैरवाद ही कहा है। मैं समझता हूं कि वह दिन एक सेंड दिन होगा जिस दिन हम उन उसूलों को हेदराबाद कह देंगे जिन पर कि हमने अपनी कांस्टीट्यूशन को खड़ा किया है। लेकिन आज कोई एमरजेंसी (आपात काल) नजर नहीं आती जो आर्डिनेरी ला आफ दी लैंड से डिपार्ट कर इतने बड़े अस्त्यारात हम एग्जिक्टिव को दें कि जो मामूली अस्त्यारात से मुस्तलिफ हों और जो एक धाम शहरी को हासिल हैं। आज देश के अन्दर क्या शकल है। अगर एक आदमी को मकान खाली कराना होता है तो उसको कोर्ट की धारण लेनी पड़ती है और उसको मुकदमा करना पड़ता है जो कि बहुत असे तक चलता रहता है। सारा डिफेंस वहां होता है और सब फैसेले वही होते हैं। किसी थर्ड परसन का भी अगर कोई राइट (अधिकार) होता है तो उसका भी फैसेला वही होता है। अगर कोई किराये का दावा करता है तो यह देखा जाता है कि टेनेंट है या नहीं

[पंडित ठाकुर दास भागव]

है या एज इफ टेनेंट है या नहीं है जिसको आज सरदार साहब इस एक्ट में अनधायोराइज्ड औक्युपेंट (अनधिकृत अधिकारी) के नाम से मुखातिब करते हैं। जैसा कि कल श्री त्रिवेदी जी ने कहा फिलवाका उसको अनधायोराइज्ड औक्युपेंट कहना ठीक नहीं है। पंजाब के पंजाब टेनेंसी एक्ट में एक दफा है जिसके मुताबिक अगर एक आदमी ने एक जमीन ली और टेनेंसी (किरायेदारी) खत्म हो गई लेकिन वह चल रहा है तो उसको माना जाता है "एज इफ टेनेंट" (किरायेदार जैसा)। उससे उतनी ही रकम वसूल होती है कि जितनी कि उसको औक्युपेंट होने के नाते देनी पड़ती और डेमेंजिज के तौर पर उससे कोई रकम वसूल नहीं होती। इसी तरह से सिविल ला में भी उस शब्स को न ट्रेसपासर करते हैं और न अनधायोराइज्ड औक्युपायर ही कहते हैं। आज अगर सरकार का एक मकान किसी के पास है तो उसको वह अनधायोराइज्ड औक्युपेंट (अनधिकृत अधिकारी) नहीं कह सकती है। जिस तरह से अजमेरी गेट में मकान थे और उनमें जो लोग रह रहे थे वे सबके सब अनधायोराइज्ड औक्युपेशन में थे, तो जहां तक सिविल ला का ताल्लुक है वह इस तरह से इसकी तरफ नहीं देखता है। इसके अलावा मुझे इस मामले का एक और तरह से भी आपके सामने रखना है। आज इस बिल के जरिये से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कुछ ऐसे अधिकार दिए जाने की कोशिश की जा रही है जिससे बहुत से लोगों को बड़ी शिकायत है और उनको बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं आपकी बतलाना चाहता हूँ कि एक कमिटी बिठाई गई थी जिसके मेंबर साहिबान थे श्री जी० डी० बिरला, श्री देशबन्धु गुप्ता और श्री टेक चन्द। इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ लिखा मैं उसे पढ़ कर हाउस का वक्त नहीं लेना चाहता। लेकिन इस हाउस में डा० टेक चन्द साहब ने न बिल पर जो अपनी स्पीच दी उसकी तरफ

मैं आपकी तबज्जह दिलाना चाहता हूँ। सन् १९३८ में लोगों के नाम नोटिस जारी किए थे जिसको आज १८ बरस हो गए हैं और कहा था कि तुम्हारे मकानात पर कब्जा किया जाएगा। आठ बरस तक यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कुम्भकरण की नींद सोया रहा। सन् १९४६ में फिर नोटिस जारी किए गए और फिर मुआवजे की तजवीज हुई। अब जो मुआवजा होता है वह एक खास कानून के मातहत एसेस होता है और जो आर्डर होता है वह एपीलेबल (अपीलीय) होता है, कोर्टस के अफसरान को अस्तयार है कि उसको मुकर्रर कर दें और फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का दखल नहीं है। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि आखिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (सुधारन्यास) को यह तो अस्तयार था कि शुरू में ही यह तय करता कि मुआवजा सन् १९३८ की जो वैल्यू थी उसकी बिना पर नहीं करिक सन् १९४८ की वैल्यू की बिना पर तय किया जाए। दस बरस का अन्तर तो वहां हो गया था। इसके बाद इसे यह भी तो देवना चाहिए था कि जिस कदर कीमतें बढ़ गई हैं उनका भी लिहाज रखता। इसके बाद जो यह हुआ कि अगर किसी को कोई जमीन मिलेगी तो ४० रुपया फी गज से कम पर नहीं मिलेगा, मैं पूछता हूँ कि यह कहां तक ठीक था। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि फिलवाका जो काम डी० आई० टी० ने किया है वह इस का नहीं जिससे हमको यह भरोसा हो कि यह ठीक तरह से काम करेगा। बल्कि मैं तो यह कह सकता हूँ कि उसके ऐसे कामों को देख कर मेरे दिल पर यह असर हुआ है कि कोई मजिद अस्तयारात इसको न दिए जायें। मैं तो यहां तक कह सकता हूँ कि अगर मरा अस्तयार होता तो जो अस्तयार इसे हासिल है उनको भी मैं इससे छिनवा देता। चुनाचे पिछलो बार जब यह बिल आया था उस वक्त मैंने दो एमेंडमेंट्स (संशोधन) भेजी थीं और जिनके जरिये मैंने यह चाहा था कि उसके भी बोही अस्तयार होनेएँ जो को कानून से

इसे दिए हुए हैं और कोई ज्यादा अस्तियार इसे नहीं मिलने चाहिए और अगर ऐसा किया गया तो यह एक खतरनाक बात होगी और इससे अधिकार वापिस लिए जाने चाहियें। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या बजह कि दिल्ली के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को, दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी को, दिल्ली की दूसरी लोकल आथोरिटी को अजीबोगरीब किस्म के अधिकार क्यों दिए जायें जो कि सारे हिन्दुस्तान में किसी भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को हासिल नहीं है या किसी म्यूनिसिपैलिटी को हासिल नहीं है। आखिर ये अस्तियार क्या क्या हैं? अगर कोई शरूस किसी मकान में बसता है, तो मेरा अस्तियार है कि मैं उससे एक सौ रुपया माहवार डैमेजिज वसूल करूँ, हालाँकि वह मकान दस रुपए किराये का है। मेरा अस्तियार है कि मैं एक सौ रुपए एसेस (निर्धारित) कर दूँ और अपने इंजीनियर और आकशनीयर (नीलामकर्ता) वगैरह ले जाऊँ मैं खुद ही मुद्दई, मैं ही जज, मैं ही एकसीक्यूशनर (पालन कर्ता) और मैं ही डिब्रीहोल्डर (आशुपेघारी) और मैं ही उसका इजरा करने वाला हूँ—मैं खुद ही पुलिस, खुद ही जज और खुद ही मुद्दई हूँ। मैं नहीं जानता कि इस किस्म के कानून किसी और मुल्क में हैं या नहीं शायद फ्रांस में एक कानून है, जिसमें अफसरों और आम लोगों में तमीज की जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा कानून बिल्कुल कम पाया जायगा कि जिस शरूस को फायदा पहुँचता है, उसको मुकम्मल अस्तियारात हों। वह इमरजेंसी का जमाना था और हमने उस वक्त यह अस्तियार दिया लेकिन आज तो कोई इमरजेंसी नहीं है जो बाडी (निकाय) गवर्नमेंट की दी हुई एशोरेंस की परवाह नहीं करती है, जिसकी करफन का हाल दिल्ली के एक एक वाशिनदे से पूछिए—मुझे उसको यहां पर जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है—, ऐसी बाडी को ये अस्तियार देने के मायने हैं कि हम लोगों के सिविल राइट्स (नागरिक अधिकार) फंडामेंटल राइट्स (मूल अधिकार), जिनकी

गारंटी (प्रत्याभूति) हमारे कांस्टीट्यूशन (संविधान) ने दी हुई है, पर पानी फेर रहे हैं। इसलिए जहाँ तक सिविल इमरजेंसी राइट्स का ताल्लुक है, मैं इस बात की बच्चे और से मुखालिफत करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को यह अस्तियार दिया जाय।

पेशतर इसके कि मैं जनाब की तवज्जह स्लम-क्लीयरेंस स्कीम (गंदी बस्ती हटाने की योजना) की तरफ दिलाऊँ, मैं जनाब की तवज्जह उन चन्द बातों की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि किस तरह इस बिल के मुतालिक कार्यवाही हुई। दो तीन आनरेबल मेम्बरों ने स्वाहिश जाहिर की है कि क्यों इतने दिन तक यह बिल चलता रहा।

जनाब, यह विन सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द १६ नवम्बर, १९५४ को किया गया और सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) की तकरीबन ग्यारह सिटिंग (बैठकें) हुई और तकरीबन सात सिटिंग में मैं हाजिर रहा और बतौर चेयरमैन काम किया। मैं आप को पांचवीं और छठी सिटिंग की कार्यवाही पढ़ कर सनाता हूँ। पहले यह होता रहा कि रेफ्यूजी आसोसियेशन्स (शरणार्थी संस्थाएँ) और अजमेरी गेट एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधिया) की गवाहियां सुनी गई और इस काम में हमने घंटों सर्फ किए। २२ अगस्त को यह कार्यवाही हुई, जिस दिन कि कमेटी की पांचवीं सिटिंग हुई—

"The Committee took up clause by clause consideration of the Bill."

Clause 4: This clause was taken up first. After some discussion it was felt that the Minister of Health should be heard at the next sitting before the Committee proceeded further."

उस दिन मिनिस्टर आफ हेल्थ तशरीफ नहीं लाई, इसलिए हमने क्लॉज ४ की कन्सिडरेशन को मुत्तवी कर दिया।

[पंडित ठाकुर दास भांगव]

कमेटी की छठी सिटिंग में पार्लियामेंट के १२ मेम्बर साहबान मौजूद थे। वे मेम्बर साहबान ये हैं— श्री राधा रमण, श्री सी० कृष्णन नायर, सरदार हुकम सिंह, श्री गिडबानी, सरदार स्वर्ण सिंह, श्री एम० एन० गांधी, हमारी बहिन, मिनिस्टर आफ हेल्थ, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री जैदी और श्री अश्वेश्वर प्रसाद सिन्हा। इससे बैठक रिप्रेजेन्टेटिव कमेटी किसी के ख्याल में नहीं आ सकती है—जितने मेम्बर मुकर्रर हुए थे उनमें से ज्यादातर मौजूद थे; क्लाज ४ पर कनसिडरेशन के बारे में जो कुछ हुआ, वह मैं पढ़ कर सुनाता हूँ—

Clause 4: After some discussing the Committee decided to omit sub-clauses (a) and (b).

In sub-clause (c) in page 2, line 6, for the word 'public' the word 'Government' was substituted.

The clause as amended was adopted.

Clause 2: The following amendment was accepted:—

In page 1, line 8, for 'public' substitute 'Government'.

The clause as amended was adopted.

Clause 3: This clause was omitted.

Clause 5: Sub-clause (b) was omitted. The clause as amended was adopted.

Clause 6: This clause was omitted.

Clause 1: The following amendment was accepted. In page 1, line 4. for '1954', substitute '1955'.

The clause as amended was adopted.

Enacting Formulas: The following amendment was accepted:—

For 'fifth' substitute 'Sixth'

The Committee decided that the evidence tendered before them should be laid before the House in extenso.

The Committee decided to consider the draft Report at their next sitting.

The Committee decided that Minutes of Disssent, if any, should be sent to the Lok Sabha Secretariat by 1 P.M. on Saturday, the 30th April, 1955— (because that was the day fixed for the presentation of the Report).

अगली कार्यवाही यह हुई कि यह फंसला किया गया कि हम और टाइम मांगते हैं। २४ अगस्त को मैं इस्तीफा देने को मजबूर हो गया। चूनाचे २५ अगस्त की मीटिंग में मेरे सक्सेसर श्री रघुरामैया सदर थे। मैं इस मामले में जातियात में नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे किसी के खिलाफ कोई रंज नहीं है कि उसने यह किया और वह किया। ये सब छोटी बातें हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तक मैं इस कमेटी का चेयरमैन था, हमने यह समझने की कोशिश की कि इनकी स्कीम क्या है और अजमेरी गेट एरिया की स्लम-क्लीयरेंस स्कीम यानी बिलप्रिंट या मास्टर प्लैन की क्या पोजीशन है। हमने यह भी कोशिश की कि हमको पता चले कि वे कहां तक सही अस्लों को मानने के लिए तैयार हैं। हमने इस सिलसिले में दोनों अघारिटीज के बयानात लिए कि वे हमारे सामने कोई चीज रखें और हम इन दोनों बातों में कामयाब हो जायें, लेकिन मुझे अफसोस और रंज के साथ कहना पड़ता है कि इन दोनों बातों में हम कामयाब नहीं हुए और हमको वह नकशा देखने को नहीं मिला, जिससे हमारी तसल्ली होती कि स्लम-क्लीयरेंस स्कीम इस तरह से चलाई जायगी कि अजमेरी गेट के लोगों को तकलीफ नहीं होगी और आईन्दा वे मकानात नहीं गिराये जायेंगे, जिनको कि गिराने की तजवीज थी। जिस वक्त एशोरेंस कमेटी बैठी, उस वक्त हजारों मकान अंडर रॉट आफ डिमालिशन (गिराये जाने वाले) थे। हम चाहते थे कि उन लोगों के साथ उन उसूल

के मुताबिक सलूक हो, जो कि इस हाउस ने मंजूर किए हैं। गवर्नमेंट ने पीछे इस कमेटी के रोबरू भी कहा था कि हम खास तौर पर दो जगहों के मकानों को रेगुलहाइज कर दें, लेकिन वे रेगुलर नहीं किए गए। वे लोग अब भी भागते फिरते हैं फ्रॉम पिल्लर टु पोस्ट। फंज रोड और हरध्यान सिंह की गली वालों की किस्मत वैसी पड़ी हुई है। जनावे वाला, हम ने कोशिश की कि किसी तरह हमारे सामने स्लम-क्लीयरेंस का नक्शा आ जाय, लेकिन हमको कामयाबी हासिल नहीं हुई। यह ठीक है कि यह निहायत ही मुश्किल मसला है और मैं इसकी मुश्किलता को जानता हूँ, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता। मैं खुश हूँ कि मेरे इस्तीफे ने उन लोगों के कानशेन्स (आत्मभाव) को जगाया, जिनको कि हम जगाना चाहते थे और अगली मीटिंग में उन्होंने फिर उसको री-अपन किया। मैं नहीं जानता कि आज वे सब साहबान किधर राय देंगे, जिन्होंने उस दिन फंसला किया था कि सिवाय एक क्लॉज के इस बिल को खत्म किया जाय। इस सिलसिले में एक शर्त यह ठहरी कि एक एडवाइजरी बोर्ड मुकर्रर किया जाय और मैं समझता हूँ कि अगर वर्चुअली नहीं तो कम से कम एक सैन्स में इस वायदे के होने में मेरा भी हिस्सा है और अगर मेरे इस्तीफा देने का यह असर हुआ, कि मास्टर प्लैन की तैयारी और एडवाइजरी बोर्ड की कायमी से मुझे बड़ी खुशी है। मैं कुछ मीटिंग्स में मौजूद नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं कि मिनिस्टर साहब ने एडवाइजरी बोर्ड का क्या नक्शा पेश किया। अच्छा होता अगर वह इस बिल में लिख देते कि उस बोर्ड की क्या पाबजं होंगी और वह किस तरह कांस्टीच्यूट होगा। क्या वह बोर्ड वैसा तो नहीं होगा, जिसके बारे में खन्ना साहब ने फरमाया कि सत्तर अस्सी परसेंट बातें मानी जायेंगी और बाकी नहीं मानी जायेंगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें शर्म हया की क्या बात है। कई कांस्टीच्यूशन में स्टैचुटरी बोर्डज (संविहित बोर्ड) का फुल

कांस्टीच्यूशन दर्ज किया गया है। आखिर यह क्यों नहीं किया गया कि एडवाइजरी बोर्ड को इस बिल का हिस्सा बना लिया जाय जनावे वाला, मैंने इस बिल के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं भेजा और शायद किसी ने भी नहीं भेजा है। मैं हाउस में एक खास टेंडेंसी देख रहा हूँ। एक वक्त था श्री राजगोपालाचारी के जमाने में कि जब प्रेस ला पास हुआ था। उन्होंने उस ला में बहस के बाद मुझे २५ प्वाइंट्स कंसीड किये। काटजू साहब ने किमिनल प्रोसीड्योर अमेंडमेंट बिल की बहस के दौरान में, जो कि कई दिन रही, मुझे कई प्वाइंट्स कंसीड किये। सरदार साहब के लिए तो यह नहीं कहता लेकिन मैं यह टेंडेंसी देखता हूँ कि मिनिस्टर साहबान किसी बिल में एक नुक्ते की भी तबदीली मंजूर करना पसन्द नहीं करते चाहे वह कितनी ही माकल क्यों न हो। अभी कल ही की बात है कि disp'ace 1 persons के रूल के बारे में आठ मेम्बरों में से ६ या ७ मुखालिफ बोले, सबजाइडिटेड लेजिस्लेशन कमेटी (अधीन विधान समिति) की रिपोर्ट भी उसके खिलाफ थी, लेकिन जब वक्त आया तो किसी के मुंह से "पूरे तौर पर नोज" (नहीं) भी नहीं निकला। मैं समझता हूँ कि अब हाउस में अमेंडमेंट भेजना और उन पर बहस करना फिजूल हो गया है। जो कुछ कहना हो जोर के साथ सरकार के सामने रख दी जाये। यह टेंडेंसी अच्छी नहीं है। यह डिक्टेटोरियल टेंडेंसी (तानाशाही वृत्ति) है। यह मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं हाउस में यह टेंडेंसी देखता हूँ और उसको डिप्लोर (खेद) करता हूँ। अच्छा होता कि इतनी बहस के बाद हमारे मिनिस्टर साहब इस बिल में एडवाइजरी बाडी (मंत्राणाकारी निकाय) का कांस्टीट्यूशन और फंक्शन्स रख देते ताकि यह तसल्ली तो हो जाती कि यह होने वाला है। मैं जानता हूँ कि यह काम मुश्किल है। हमारी बहिन हमको जितना देना चाहती है अगर उसका आधा भी दे सकें, हमारे मिनिस्टर साहब हमारे लिए

[पंडित ठाकुर दास भागव]

जो कुछ करना चाहते हैं, अगर उसका आधा भी कर सकें तो वे काबिले मुबारकबाद होंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे मिनिस्टर साहब फिर हमें एश्योरेंस दें और उन की दुर्गत हो क्योंकि उन के एश्योरेंस देने के बाद भी अथारिटीज चाहेगी तो उन को इनफ्रन्चुअस बना देगी। आप क्यों नहीं इस बिल में लिख देते कि इस बाडी के यह फंक्शन होंगे और इस का यह कांस्टीट्यूशन होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आनरेबल मिनिस्टर साहब इस तरफ तवज्जह दें और जो कि हाउस की तकरीबन यनानीमस राय है उस को कबूल फरमावें।

मैं स्लम क्लियरेंस के बारे में अर्ज कर रहा था। हमारे सामने अजमेरी गेट एरिया और इसी तरह से दिल्ली के २८ स्लम एरियाज के क्लियरेंस का सवाल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गये, थे और उन्होंने ने उन मकानात को देखा था। लेकिन उन को तो उन जगहों में जाने का कम मौका मिलता है। मैं ने इस हाउस में दिल्ली के स्लमस का कई दफा डेक्लरेशन दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में कहीं हैल मौजूद है तो वह दिल्ली के अन्दर मौजूद है, आप थोड़ी दूर जा कर उस को देख सकते हैं। हम ने वहाँ जा कर देखा है कि वहाँ पर कोबलर्स, कुम्हार, वैजीटेबिल सेलर्स (सब्जी बेचने वाले) वगैरह वगैरह बहुत ही गरीब आदमी रहते हैं, उन के घर पुस्तों से वहाँ चले आ रहे हैं। वहाँ पर रह कर वे अपनी रोजी कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। आप उन के घरों को ले कर उन को दूसरी जगह रखना चाहते हैं। इस सिलसिले में हम ने पै दर पै यह मालूम करने की कोशिश की कि इन में से कितने परसैंट आदमियों को इन इन इलाकों में जगह दो जायेगी। मेरी वहिन ने कहा कि यह नामुमकिन है कि एरिया का क्लियरेंस हो और लोगों को तकलीफ न हो। मैं मानता हूँ कि यह ठीक है। लेकिन यह नहीं बतलाया जाता कि इन आदमियों में से, जिन की जगह आप ले रहे हैं,

कितने परसेन्ट को आप इस इलाके में जगह देंगे। आप इन को १५ रुपये के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं। पर इन से पांच छः गज के फासले पर जो सड़क है उस में जमीन की कीमत ७५ से १०० और ३५० रुपये गज तक है। यह जो आप ने मयार मुकर्रर किया है इस के मुताबिक एक भी गरीब आदमी वहाँ नहीं बस सकेगा और स्लम क्लियरेंस के मानी होंगे इन गरीब आदमियों का जनरल अपरूटिंग (विस्थापित करना)। आज हाउस का कोई मीम्बर यह पसन्द नहीं कर सकता कि इन गरीब आदमियों को इस तरह से अपरूट कर दिया जाये। हो सकता है कि आप इन लोगों को इस से बेहतर जगह रहने के लिये दें, लेकिन उस जगह पर उन को वह आशाइश नहीं हो सकती जो कि यहाँ पर है। उस जगह पर उन का गुजारा नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ पर वह कंडीशन्स (स्थिति) आप पैदा नहीं कर सकते जो कि अजमेरी गेट पर मौजूद हैं और जिन की वजह से वे गरीब आदमी अपनी रोजी कमाते हैं। उन जगहों पर जहाँ आप उन को भेजना चाहते हैं उन का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिये मैंने आप के सामने यह सवाल पेश किया कि आप इन आदमियों में से कितने आदमियों को वहाँ पर जगह देंगे। हम चाहते थे कि आप की ओ स्कीम है उस का ब्यूप्रिट हमारे सामने पेश कर दिया जाय ताकि हम को मालूम हो जाये कि आप क्या करना चाहते हैं लेकिन वह ब्यूप्रिट हमारे सामने नहीं आया और उस के न आने की वजह से मेम्बरन ने यह फीसला किया कि इस बिल को मंजूर न किया जाये। मुझे आश है ब्यूप्रिट दिखला दें। पिछली दफा हमारी वहिन सेन्ट्रल अथारिटी के नाम से एक चीज हाउस के सामने लायी थी। मैं समझता हूँ कि वह इस सवाल का एक थोड़ा सा हल है। लेकिन आप इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का क्या करेंगे। यह बोसीदा हो चुका है। इसको तोड़ दीजिये और एक नई अथारिटी लाइये और किसी भले मिनिस्टर को उस का इनचार्ज कीजिये। हमारी बांहन के पास

सारे देश की हैल्य की एक बहुत बड़ी जिम्मे-
दारी है। उन की सारी तबज्जह उस तरफ ही
लगनी चाहिये। और जो आप दिल्ली का नव-
निर्माण करना चाहती हैं और जो दिल्ली में
आप दुनिया में बहिस्त लाना चाहती हैं
उस को उस नई अधारिटी को दीजिये।
अगर वह काम आप इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को
देगी तो वह काम खराब हो जायेगा। इस
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ऐसा काम किया है कि
लोग कहते हैं कि इस की वजह से हम को
बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

हमारी बहिन हम को एक बार अंधा
मुगल ले गई और हम को वे मकान दिखाया
जो कि बजाहिर खूबसूरत मालूम होते थे
और उन पर ह्वाइट वाशिंग किया हुआ था।
लेकिन उन से कोई सी कदम पर ही हम ने देखा
कि एक गन्दगी की नहर बह रही है जो कि
बीमारी का घर है। ऐसी हालत में वह जगह तो
खुद एक रलम है। अब तक वह गन्दगी
दूर न की जाये वह जगह रहने के काबिल
नहीं हो सकती। और फिर आप देखें कि वह
जगह शहर से कितने फासले पर है। हमारी
बहिन हम को तो मोटर में बिठा कर वहां ले
गई लेकिन उन गरीब आदमियों को रोजाना
कौन मोटर में ले जायेगा। मैं अदब से अर्ज
करना चाहता हूँ कि जब तक आप इन लोगों
को दूसरी जगह मकान के साथ साथ जीविका
भी नहीं देंगी तब तक इन का रिहैबिलिटेशन
(पुनर्वास) नहीं हो सकता ख्वाह वह रिप्यूजी
हो या नान रिप्यूजी हो। इन मकानों से इन
को हटाने में सेंटीमेंट का भी सवाल है।
ये लोग सैकड़ों बरस से अपने बीबी बच्चों
के साथ इन मकानों में रहते आये हैं, इन के
मां बाप यहीं पर मरे और इन को इन मकानों
के एक कोने कोने से उर्सियल है। इन मकानों
के साथ इन लोगों का लगाव है। लेकिन आप इस
सेंटीमेंट (भावना) के सवाल को छोड़ दीजिये।
आप इन को मैटीरियल चीज तो दीजिये जब
तक आप इन को मैटीरियल (भौतिक) चीजें
बहम नहीं पहुंचायेंगे तब तक आप यह नहीं कह
सकते कि हम ने स्वम क्लियरेंस कर दिया है।

हमारे दोस्त राधारमण साहब ने
चन्द कटरों का जिक्र किया जिन को मैं बहुत
मुद्दत से देखता आया हूँ और जिन का यहां
बहुत मर्तबा जिक्र किया गया है। इन को देख
कर यही कहना पड़ता है कि जिस तरह से अंग्रेजी
सलतनत के बारे में कहा जाता था कि
“दी सन नेवर सेट्स आन दी ब्रिटिश एम्पार”
उसी तरह से इन कटरों के लिए कहा जा सकता है
कि यहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती
यहां दिल्ली में ऐसी जगह मौजूद हैं। आप उनका
इन्तजाम कैसे करेंगी। अगर आपके पास करोड़ों
रुपये भी हों तो भी आप उनका इन्तजाम नहीं
कर सकेंगी। इस के लिये तो यही जरूरी है कि
लोगों के दिलों में यह स्थाल पैदा किया जाये कि
उन को खुद इन को ठीक करना है। इस काम में
किसी हद तक हमारे हुक्काम की इमदाद
की कारगर हो सकती है और अगर वे लोगों
को मदद दें तो इस मसले को हल करने में
हम किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं।

हमारे सामने लोग आये और उन लोगों ने
गवाहियां दीं लेकिन उन को छापा नहीं गया
शायद इस स्थाल से कि उस को पढ़ कर मैम्बरान
को रोशन होगा कि एश्योरेंसिज की किस तरह
से बेहुमती की गई है। उन को छापा नहीं गया
थी कि छापने का पहले फैसला किया जा
चुका था। लेकिन मुझे एक बात याद है कि
आखिरी जो उन का स्पोक्समैन था उस ने
इस बात को कहा था कि इस बिल को बड़ा
कर हमारी तकलीफ को दोबाला न कीजिये
और इसी तरह की दूसरे लोगों ने भी शहादत
दी थी और उस सारे मैटीरियल को देख
कर हम इस नतीजे पर पहुंचे और सेलेक्ट
कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि हम इस बिल
को पास न करें।

मैं आखिर में अदब से अर्ज करना चाहता
हूँ कि मेरे इस के वरखिलाफ जो एंटरराजत
हैं वह फिलवाक्या रैडिकल नेचर के हैं। एक
ऐसे जमाने में जब देश में कहीं इमरजेंसी न
हो, इस तरह का इमरजेंट लेजिस्लेशन जायज
नहीं है। यह लेजिस्लेशन हम को उसी तरह
ले जाता है और हुक्काम में इस तरह की

[पंडित ठाकुर दास भागवत]

जहनियत पैदा करता है कि वे बगैर किसी जरूरत के ही हमारे आडिनरी ला आफ दी लैंड को सप्रेस कर दें। मैं इस को बढ़ाना नहीं चाहता और न ही इस को जरूरत देखता हूँ। साथ ही मैं यह चाहता हूँ कि जो हमारा सिविल ला है और सिविल कोर्टस् का जुरिसडिक्शन (अधिकाधिकार) है उस को खत्म न किया जाय। सरकार को यह मालूम ही नहीं होता कि एक नैडलांड को मकान खाली कराने में कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है और उस के लिये उस को सिविल कोर्ट में जा कर दावा बगैरह करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी एक लैंड लांड (गृह स्वामी) के मुआफिक कोर्टस् में जाये और उसी तरीके से दावा करे और कोर्ट फंसला दे कि उस को कितना डैमेजेज (क्षति) देना होगा और किस तरीके से वसूल होगा और कोर्ट के फंसला हो जाने के बाद ही ऐसा करना जायज होगा वरना यह जायज नहीं होगा।

अब मैं बहुत संक्षेप में इस गवर्नमेंट प्रिमिसेज (इविकशन) अमेंडमेंट बिल, १९५४ के जो दो, तीन छोटे छोटे प्राविजस हैं उन को बाबत कुछ कहना चाहूंगा। एक तो पबलिक प्रिमिसेज के मुतालिक है और उस सम्बन्ध में सन् १९५१ में जब यह बिल रेफर हुआ था तो गाडगिल साहब ने जो इस के मुतालिक फरमाया था वह मैं इस वक्त जनाब की इजाजत से दुहराना चाहता हूँ। उन्होंने ने तब यह फरमाया था कि "लैंड इन्क्लूड्स बिल्डिंग" और पंजाब हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) जिस के सामने इस किस्म का एक मुकद्दमा आया था उस ने भी यही ख्याल जाहिर किया था। अगर यह बात दुखस्त है कि "लैंड इन्क्लूड्स बिल्डिंग" (भूमि में मकान भी है) तब मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल को लाने की जरूरत नहीं है। मैं इस के उसूल के भी बाखिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो पुराना ला है उस को धर्मंड कर दिया जाय। लेकिन अगर लैंड के माने बिल्डिंग नहीं है वैसे कि सरदार साहब द्वारा इस बिल को यहां

पर लाने से मालूम होता है तो मैं अदब से पूछना चाहता हूँ कि किस अख्तियार से इन सारे रेप्यूजीज के मकानात को गिराया गया और उन को बेदखल किया गया क्योंकि उन के मुताबिक बिल्डिंग पर उन को अख्तियार नहीं था। अब आप "कौम्पटेंट एयारिटी" (सक्षम प्राधिकारी) की जो तारीफ इस बिल में दी हुई है उस को जरा देखें। उस के मातहत म्युनिसिपल कमेटी के किसी आदमी को इस काम के लिये मुकर्रर किया जा सकता है। पहले स्टेट आफिसर की डैफिनीशन दी हुई थी, कौम्पटेंट अयारिटी यहां नहीं था। एक ऐसे शख्स को जो उसी के मातहत है उस को कौम्पटेंट अयारिटी बनाने का अधिकार दे देना सिविल कोर्टस् के अधिकारों को सत्व कर देना मेरे ख्याल में लोगों की सिविल लिबर्टीज (नागरिक स्वतन्त्रता) के साथ खेलना है। इन वजूहात की वजह से मैं आप की खिदमत में अर्ज करूंगा कि मेरी नाकिस राय में इस बिल को इस तरह से पास करना और डी० आई० टी० को यह अधिकार देना जायज नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर सेलेक्ट कमेटी (प्रवर रायिती) की इसमामले में सही रिपोर्ट आती तो दो चीजें आतीं। एक तो यह कि इस बिल को नामजूर कर दिया जाय और जो हम ने अप्रैल में फंसला किया था उस सारे को बगैर किसी किस्म की तबदीली और बगैर एडवाइजरी बोर्ड के उस को मंजूर करा जाय। वह भी १२ आदमियों की राय थी जो पिछली २४ अप्रैल को दी गई थी। इन वजूहात से मेरी अदब से गुजारिश है कि इस बिल को मंजूर न किया जाय लेकिन अगर सरदार साहब इस पर इसरार करें और ऐसा समझें कि बगैर इस तरह के लैजिस्लेशन के यहां दिल्ली का सारा काम खत्म हो जायगा और ठण्ठ हो जायगा और यह सब दरहम दरहम हो जायगा हालांकि ऐसा मामला नहीं है और अगर सरदार साहब इस बिल को प्राज विदवा कर लें तो किसी की खासी भी न भ्रायेगी, लेकिन अगर सरदार साहब इस को लाना ही चाहते हैं तो कम से कम हम को यह एग्शोर करें क्योंकि सारे रेप्यूजीज

प्राप की तरफ निगाहें लगाये बैठे हैं कि उन के बाकी मकानात का क्या होगा और अगर प्राप इस तरह से उन को कुचल डालने का अस्तित्पार देते हैं तो यह मुनासिब बात नहीं होगी । प्राप को अस्तित्पार है कि प्राप उन को कुचल डालें लेकिन क्या ऐसा करना प्राप को शोभा देगा ? वे बेचारे बेजबान हैं और वह कुछ शिकायत नहीं कर सकते और वह बिल्कुल हैल्पलेस हैं और कुछ नहीं कर सकते और प्रापको अस्तित्पार है कि इस हाउस से अपनी मैजारिटी के बल पर इस बिल को इस रूप में पास करा लें लेकिन मैं प्राप से अर्ज करूंगा कि इंसाफ का तकाजा है कि जो पहले प्राप ने हमसे वायदे किये थे उन को पूरे उन्हीं असली मानों में उन के एक एक शब्द को आप अमल में लायेंगे, इस ऐश्योरेंस के दिये बगैर प्राप अगर इस बिल को पास करेंगे तो हम को सिर्फ यही नहीं कि हम इस को जटिस्फाइड (न्यायोचित) नहीं समझते हैं, हम को रंज भी होगा कि आपने जो ऐश्योरेंस दिये थे और जिन के बारे में सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि उन पर ठीक अमल नहीं हुआ, प्राप उन ऐश्योरेंसज (आश्वासनों) पर पानी डालना चाहते हैं । अगर प्राप हमको इस तरह का आज ऐश्योरेंस नहीं देना चाहते तो कम से कम इतना तो कीजिये कि एडवाइजरी बोर्ड को स्टैंचटुरी एडवाइजरी बोर्ड बनाये और यह बतलाइये कि उस का क्या कांस्टीट्यूशन और क्या फंक्शन होगा । दूसरे इस तरह का ऐश्योरेंस यहां पर दिया जाये कि जो हम से गलतियां हुई हैं उन का ऐतराफ करते हुए उन को दुस्त करने की कोसिख की जायेगी । ऐसा अगर किया जाये तब तो कुछ चीज बनेगी और उन को इस बात की तसल्ली होगी कि हालांकि हमारी मर्जी के खिलाफ जो यह बिल पास किया जा रहा है ताहम जो कदम उन्होंने भागे बढ़ाया है और जो वायदे उन्होंने पहले से हम से किये हुए हैं उन से पीछे नहीं हटे हैं लेकिन अगर यह भी प्राप नहीं करते तब तो हम यह समझने पर मजबूर होंगे कि प्राप इन हमारे मुसीबतजदा भाइयों को ऋना करना चाहते हैं ।

Rajkumari Amrit Kaur: I will only speak as far as the allegations which have been hurled at the Improvement Trust are concerned.

I may say that the Improvement Trust at present has got powers under the Government Premises (Eviction) Act, 1950. This Bill seeks only to include in "premises" those which are in the possession of or have been leased out by the Trust, so that we are not really asking for anything very much.

Much has been said about our neglect or heartlessness or callousness or whatever you might like to call it about the refugees, and it has been said that very many things have been done by the Improvement Trust which have been unfair to the refugees, it has been out to crush them and so on. I want to state in all humility, as I have done on the floor of this House many a time and as I have done in private to Members of this hon. House who have come and spoken to me about what the Improvement Trust is doing or not doing, that the Improvement Trust has not really broken any of the assurances that were given on the floor of this House by Shri Gadgil. I am not here now to say that the Improvement Trust has done everything that is right and has never erred. After all, every institution is a human institution and many things may have been done by the Improvement Trust which are not to our liking, but by and large it is always forgotten that the committee that was set up to look into the working of the Improvement Trust was set up at my instance. Many recommendations were made by it. In that committee's report the main recommendation was that there should be one building authority in Delhi because otherwise the Improvement Trust really could not function properly. Nothing is ever mentioned of course about the 2,000 acres that the Improvement Trust gave away for refugees whereby it was made completely bankrupt as a result of which Government has had to subsidise to since then.

[Rajkumari Amrit Kaur]

Yesterday certain things were stated about the Yamuna Bazar slum victims. I may say Shri Radha Raman who waxed very eloquent about this particular place was a member of the committee which approved the rehousing plans for this area and which took a decision that it should be kept an open area. My hon. friend Shri Feroze Gandhi made some statements yesterday and at once, after I left this House last evening and also this morning, I had enquiries made, as to what the position in regard to the leases on this particular land was, and I would like to give this information to the House.

3 P.M.

The decision regarding the Jumna Bazar area was taken on 23rd September 1955. And in the second meeting, the one held again on 23rd September, 1955, it was decided that the entire Jumna Bazar area should be kept an open area; at this meeting, I believe, Mr. Deputy-Speaker, you yourself were present; besides, Shri Radha Raman, Shrimati Subhadra Joshi, and Shri C. K. Nair, all Members of this House were present; Shri Brij Kishore Chandiwala was also present; the president of the Delhi Municipality was also there. So far as I remember, the Minister of Development of Delhi State was also there. Since this date, the Delhi Improvement Trust has not sold or leased out any plot of land in that area.

But I have, quite honestly, to state the position before that date. 25 shop-cum-residential plots were sold by the Improvement Trust in 1948, and these were built upon almost immediately. Then, a plot was allotted to an ice factory, in 1948, on a twenty-years' lease, and some constructions have been put on it. Then, about some eighteen to twenty plots were allotted to other persons like the Burmah Shell etc. on a twenty-years' lease, because, at that time, it had been decided more or less that this plot could be built on.

Then, we came to the conclusion—some time ago, as I said—that this

area should not be built on. In fact, even before this committee met, almost all these leases had been terminated, and converted into temporary leases, terminable at one month's notice. And some of the lessees will very soon be vacating this area.

It is true that Bawa Bachitter Singh was allotted 1,200 square yards, for storage purposes, near the Burmah Shell plot on a temporary lease, again, terminable at one month's notice.

This took place on the 16th December, 1954. He has enclosed this site by zinc sheet partitions and he did this more or less at once, and has been using this site for storage purposes.

Then, plots had also been allotted to the Sant Parmanand Blind Relief Mission in 1954. Two other plots which have been built upon were built upon by the Gita Bhavan and the Dharma Sangh. These had already been allotted to them in 1945 and, so far as I remember, I gave an assurance on the floor of this House that since these were religious constructions, they would not be interfered with.

Now, constructions have been coming up to a certain stage in all these plots. But further constructions have been stopped, and other plots which had been allotted, again, to the Delhi Municipal Committee for police chowki or for one thing or another, have since been taken over.

The question of terminating these leases is of course going to be taken up. I have no hesitation in giving the assurance that if I find it necessary, as I probably shall, to take back what has been leased out, I shall certainly do so, without hesitation, because it is not the desire of the Improvement Trust, and certainly not that of my Ministry, that only rich people shall be given plots, and that the poor shall be denied. The poor must have top priority, and first priority. And I share with the House the view that because the set-up of the Improvement Trust was such, it simply had to sell land in order to get money whereby it could remove slum

areas. And this set up has now got to be terminated.

In regard to certain detailed accusations that were made about Jhil Koranja, I would like to say this. That land does belong to the Improvement Trust, and it is being developed, Drainage and sewerage are going to be provided, and we are now in the process of testing the water from there. I may say that the Improvement Trust is the only body that has never put up houses anywhere, without proper drainage and sewerage, and without attention to drinking water.

The tragedy of Delhi has been that A. B. C and D have built, with the result that there have been far too many building authorities, and therefore it was that the main recommendation of the Delhi Improvement Trust Enquiry Committee, namely that there should be one building authority, has been something that has been pursued by me from the very beginning from the time when that report was given to us. And at last, we have taken a step towards that desideratum. The Delhi Development Provisional Authority has come into being. The chairman of the Improvement Trust is a member-secretary of this body, and the Delhi Improvement Trust is not selling any land at all at the moment, and all building plans are under this Delhi Development Provisional Authority, on which three Members of this House sit and with whom, along with the Minister of Development of Delhi State, we have constant consultations.

Much has been said about the number of houses demolished in Jhandewala. It is true. I never said that the Improvement Trust has never demolished any houses, but I contradicted demolition in certain areas, where the Improvement Trust was accused of having demolished houses. In Jhandewala, 230 houses were demolished. They were built on undeveloped land in such a bad way that the then Health Minister of Delhi State, Dr. Sushila Nayyar, begged of the Ministry and of the Improvement

Trust, after she paid a visit to the locality, that we should do something because it was criminal to allow people to live in those places. This area has got to be cleared and developed. And the Trust did what the Delhi Rehabilitation Ministry wanted them to do and, after having got rid of some structures, the development has been taken in hand. The development is not yet complete but in the portion developed, plots have been earmarked for persons who used to live there, and who said, 'May we have what were called "eligibility chits", so that when the plots are demarcated, after the land has been developed, we may have them? That has been done, and thus, all the persons who have got these eligibility chits will be given land there and will be housed there. So much for Jhandewala.

In addition, any Member of this House, who would like to come to my office or to the Improvement Trust's office may come and see the list of those constructions which have been demolished by the Improvement Trust, because a complete record has been kept of them. I say that most of them were constructions which had to be removed for public purposes, such as widening of roads etc. As for those constructions that had been put up without any reference to anybody, and that were completely unauthorised, I would beg of this House to remember the difficulties to which all State authorities are put by these unauthorised constructions.

After all, Government have got to maintain law and order. Government have got to see to it that more and more slum areas are not created in this capital city. Government have dealt extremely leniently with the refugees, and if the refugees themselves were asked, I do not think that they would have all the complaints that many Members of this House have preferred on their behalf. The position becomes extremely difficult when roads are blocked, when we want to widen a road and an unauthorised construction is there, or

[Rajkumari Amrit Kaur]

when we want to do slum clearance and everybody says, 'I will not be moved from here; I must remain here'. You cannot have it both ways. Either you remove slums and cause a certain amount of hardship or you continue with slums. I say that it would be extremely bad for this capital city and, in the end, bad for everybody if slum areas were allowed to continue. So I think that this point is greatly forgotten in our zeal not to do anything to harass the refugees.

I say in all humility that we, who happen to have the responsibility of being Ministers today, are no less anxious to help the refugees than any other Member of this House. From the speeches made, one would imagine that only the other Members of this House care for the refugees, that none of us cares for them. I wonder how many Members of this House go round and see the refugees, how whenever rain comes they go there, which of them looks after the children or who looks after their medical aid and relief. Do the Members of this House think that we are completely negligent of them? I think it is a very sad commentary on the Ministers. If the Ministers are like that, I say to you that you should demand our resignation.

Shri B. Y. Reddy (Karimanagar): That is not the point. What are the steps taken?

Rajkumari Amrit Kaur: The help that the refugees have received at the hands of Government has been generous as far as possible and sometimes almost beyond the financial capabilities of the Government. The Improvement Trust is part and parcel of the Government. It may be that sometimes something has been demolished which need not have been demolished but, by and large, I claim that the Improvement Trust has been most lenient with refugees and given them notices again and again, withheld them, increased the length of time within which they have to be moved, and never, never, on any

occasion has alternative accommodation not been given to them. It is not always possible to give alternative accommodation on the very spot from where you are trying to remove them in order to re-build for them. Sometimes they have to go a little distance.

I think that sometimes people who are not in charge of the executive functions of the Government do not realise the difficulties that come and how anxious we are—we are no less anxious than anybody else—to do whatever we can to make the lot of the refugees less hard, less harsh and more comfortable than it is. I beg of you to have trust in us that we are going to do everything that is possible not to allow human beings to suffer. I am a person who lives and moves and has my being in the midst of suffering. My heart aches more than anybody else's that I am not able to do always as much as I should like to do for them.

I wish to assure this House again that within a month of the passing of this Bill the Advisory Committee will be formed and that I shall be available to them all the time. Even before it is constitutionally formed, I shall ask those Members who are immensely interested in this problem to come to my office, daily if they like, and spend as much time as they can and learn from me what the plans are. It is impossible for me to give a blue-print overnight of all the development of Delhi City. This is what I have been trying to shout from the house-tops that there are far too many authorities. It was impossible to get a proper blue-print. Now, we have got an interim plan prepared at terrific speed and the Members of Parliament will see from it where the open areas are to be, where we wish to accommodate refugees and so on. Believe me, there have been townships built which have no services there. Every little township wants a certain number of cobblers, a certain number of scavengers, a certain number of car-

penters etc. etc. All these people can be properly housed with the complete assurance that their living will not be interfered with.

A statement was made that the work of clearing slums or *katras* that has been done by the Trust is not as good as that done by the *Bharat Sevak Samaj*, and that it is more expensive. This is wholly incorrect. I may say that the Minister of Development of Delhi State himself has openly said that the best work that has been done has been done by the Improvement Trust. The *Bharat Sevak Samaj* came to me and asked me to give them help. I gave them one of my plans and they have copied it. Therefore, to say that the work that they have done is better than that done by the Improvement Trust is not a correct statement such as ill becomes Members of this House to make without proper inquiry.

As far as the legal side of the Bill is concerned, I leave that to my hon. colleague to reply to. I should like to say one more thing. The Improvement Trust has regularised houses built in Motinagar area, in Karol Bagh area and business houses that have been built in Motiakhana dump area. Land has been allotted in these areas on a no-profit-no-loss basis. No house alleged to cost Rs. 40,000 has been demolished by the Improvement Trust. I have said that anybody can come and see the list of houses demolished—or any construction—half construction very often—demolished by the Improvement Trust, in my office any day. I believe that this charge has been levelled at the Improvement Trust many a time. This was actually demolished by the Land and Development officer in order to make the link road.

I think I have tried to the best of my ability to answer all the charges that have been levelled. I would like to say one thing more. No notices have been served by the Delhi Improvement Trust on people who live in *Shahdara*. No notices now

can be served by the Improvement Trust.

I would also say in conclusion that the moment the Delhi Development Authority comes in, the Improvement Trust will be merged in it. I plead with all the earnestness at my command that until such time as a body like this has to function, it must have the little extra power that has been sought to be given to it in this Bill.

Shri D. C. Sharma: What about *Shahdara*?

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister has answered about *Shahdara*.

Shri Radha Raman: I want to remove one impression which the hon. Minister has just now sought to create. She said that there was an Advisory Committee in which we all sat and we approved anything that was now being done. There were certain conditions laid on the basis of which rehabilitation of those persons who were living in certain areas was to be done. None of those conditions has so far been fulfilled, and there are notices after notices given to the residents of that area. I just want to clear the wrong impression sought to be created by the Minister's statement and say that those persons who sat on the Committee never approved anything of this nature, as has been just now stated by the Minister.

Shrimati Subhadra Joshi (Karnal): With your permission, I would like to put a question. I would like to know if it was not decided in the Committee that the buildings sold already would be acquired and the houses already built would be demolished—not about the leases in *Jamuna bazar*—and if we were not told later on that the Finance Ministry did not approve of this?

Rajkumari Amrit Kaur: Here I have got the official Minutes which were circulated to every member. In the Minutes it is said:

"It was decided that the *Jamuna Bazar* area should be cleared. In

[Rajkumari Amrit Kaur]

view, however, of the poor economic status of the residents therein, it was considered that perhaps about 400 families therefrom could only be shifted to the proposed colony near Lajpat Nagar".

where they would get employment.

"It was, therefore, decided that the development in accordance with the plan submitted by the Delhi Improvement Trust for building 1,600 houses in that area should proceed but, in the first instance, only 400 houses should be constructed during the course of the year.

800 cheaper quarters should be built on the Shahdara side to house slum evictees of lower economic status. For the still poorer people, platforms should be constructed on the Shahdara side and then the question of allotment of a site and some cash grant for building houses should be considered. The Minister for Health was, however, of the view that platforms would not be suitable near big cities and whenever poor class slum evictees are housed they should be housed in quarters built to certain specifications. For this purpose, the Chairman, Delhi Improvement Trust, should prepare a scheme immediately and bring it before the Committee for further scrutiny and sanction."

These decisions are being carried out. (Interruption).

Pandit K. C. Sharma (Meerut Distt.—South): The hon. Minister has given an invitation; he may visit the office and get them cleared.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—Reserved—Sch. Tribes): I want your protection, Sir. My hon. friend from Delhi, Shri Radha Raman is talking of 'we'. I do not want to be included in that 'we'. 'We' is not

Lok Sabha; 'we' may mean Delhi or something like that but not 'we' including me.

Sardar Swaran Singh: Mr. Deputy-Speaker, Sir, this measure has now been debated for a number of hours and the feelings of the hon. Members on this difficult subject have been expressed with emotion and they have been expressed with feeling and the grievances of the people and their difficulties have been very vividly placed before the House. I have every sympathy for those feelings and the difficulties, whether they are being experienced by the refugees or by the slum dwellers; they are real and something has to be done to tackle that problem.

So far as the present Bill is concerned, I may respectfully submit that the scope of this Bill is a limited one. But, I want to say, at the same time, that the discussion has been very useful.

Mr. Deputy-Speaker: Normally one voice should be audible here; but at present unauthorised voices are more loud.

Sardar Swaran Singh: And they cannot be ousted without providing alternative accommodation.

I was saying that so far as the Bill itself is concerned, objection has been taken to its structure, to the nomenclature and to the various provisions. But, so far as the relevant provisions are concerned, the operative part really consists of two points. They are, that the authority that the Government today has with regard to land and buildings belonging to Government, the authority that the Municipal Committee today has with regard to both lands and buildings should also be extended to the property belonging to the Improvement Trust of Delhi. The Delhi Improvement Trust today has this authority with regard to land and the only addition that is sought to be made is with regard to buildings belonging to the Improvement Trust.

It is true that 'public premises' has been defined and a new sub-clause is sought to be substituted. My hon. friend, Shri D. C. Sharma, for whom I have great respect because most of us have read his text-books when we took our examinations (Shri D. C. Sharma: Don't worry; it is mutual), was a little frightened by these 7 or 8 lines that we have reproduced here while defining 'public premises'. I am sure we never got frightened by the thousands of pages that he produced in his text books.....

Mr. Deputy-Speaker: If the teacher is frightened, what will be the fate of the pupil?

Sardar Swaran Singh: In this case, the pupil did not feel frightened by the thousands of pages he wrote, but the teacher feels frightened by these 10 lines of definition.

Shri D. C. Sharma: But those were clear.

Mr. Deputy-Speaker: No more interruptions now.

Sardar Swaran Singh: 'Public premises' is the new nomenclature that is given to Government premises because now, by the operative part, buildings belonging to the Improvement Trust are also sought to be included. Therefore, for the sake of clarification, because something new was going to be added, the original expression 'Government premises' is altered to 'public premises'. There is no catch in this and I cannot understand why there should be any misgiving on that score. The original definition of 'Government premises' also runs to the same length. The same authorities are repeated; only buildings belonging to the Improvement Trust have been added, and, for the sake of clarity, instead of adding just one word, the whole thing has been reproduced so that it might be made clearer.

The other point is the definition of 'unauthorised occupation'. In this again, my learned friend, Shri

Trivedi, for whose legal acumen and ability I have great respect, thought that this expression 'unauthorised occupation' is either unhappy or that it is likely to be interpreted in a manner which might lead to anomalous results. I submit that any fears that might be entertained on that score are not well-founded.

The object of the addition of this sub-clause is a simple one. As I submitted on an earlier occasion, the Bombay High Court came to the conclusion that a person who originally entered as a lessee, if afterwards he contravened the provisions of that lease or did anything which resulted in the determination of the original lease, then, action cannot be taken according to the sections as then existing—prior to this. The power to evict is contained in section 3 of the original Act. There are two contingencies which are laid down which entitled the competent authority to evict a person. They are briefly, the power to evict certain persons from Government premises if the competent authority is satisfied that the person authorised to occupy any Government premises has, whether before or after the commencement of this Act (a) sub-let without the permission of the Central Government or of the competent authority the whole or any part of such Government premises or otherwise acted in contravention of any of the terms, express or implied, under which he was authorised to occupy such Government premises or (b) if any person is in unauthorised occupation of Government premises, the competent authority may after notice evict that person.

Therefore, subletting without permission and action in contravention of any of the terms, express or implied, of the lease, have already been recognised as grounds sufficient to entitle the competent authority to order eviction. The Bombay High Court in that case came to the conclusion that that case, which was ultimately compromised, did not come within the definition of any of the

[Sardar Swaran Singh]

first two sub-clauses and they also came to the conclusion that the original letting in of that individual being authorised, a subsequent act did not automatically make him unauthorised and, on that short ground, they said that action could not be taken under the provisions of this Act. The Bombay High Court also pointed out that all that virtually emerged out of their decision is that the Government will be compelled to go to a civil court, and if the Government goes to a civil court, the defendant has absolutely no case, he is bound to be evicted. Therefore, it will be a good arrangement if Government could agree to give another 3 or 4 months so that he could within that time clear out. It is necessary, however, to clarify this position so that this doubt which is cast about the intention of the Legislature may be clarified. The only point is that in any Government premises if any person originally entered with lawful authority but later on, say, sublets it or by lapse of time or by other circumstances the original relationship is terminated, then the Government should not be compelled to go to a civil court for ordering his eviction; in such a case there is no doubt that the decree will be there, but they can resort to the simpler procedure prescribed under this Act and take action under section 3. These are the two substantive points which are sought to be covered by this amending Bill.

The other provisions are purely consequential, and there is no controversy or there should at any rate be no controversy after this clarification that I have attempted to give.

My friend, Shri Trivedi expressed concern about the inadequacy of notice or the service of notice being only in name and actually no notice being served and action being taken. But I have examined our records, and no case actually has cropped up where for want of due notice or for want of the service of that notice any hardships had been caused.

Shri U. M. Trivedi: If the hon. Minister likes, I will send him examples.

Sardar Swaran Singh: I shall be glad to examine any cases which my hon. friend points out and I am prepared to look into them. What I want to clarify is that in substance there may be cases where difficulties have arisen. For instance, these points are substantial; a person may have been evicted without provision of accommodation which is either to his liking or which renders his economic rehabilitation difficult or which provides him with inadequate economic means to establish himself in the new premises, or the place may be a little far off from the central area. These are substantial points and I do not want to take shelter behind a technicality of the want of notice or compliance with the technical provision of giving notice. Those cases of difficulties and hardship have to be tackled on merits. But so far as the short point of the inadequacy of the period of notice or any defect in the service of the notice is concerned, my investigation indicates that no hardship has been caused on that score, and the rules on that point are quite clear—registered notice is the normal type under which the civil courts effect service of the process issued under the orders of the civil courts. Rules have been framed on this point which clarify the position further. Under the main Act, there is provision for preferring an appeal also. An appeal lies to the administrative Ministry in charge, and that also is a further safeguard, for action will not be taken in any manner which entails any hardship.

While clarifying my attitude with regard to those persons who might have entered Government premises or public premises in an effort to rehabilitate themselves or who might be in occupation of slum areas, I want to remind this hon. House of the responsibility that all of us owe to the preservation of law and the

enforcement of normal legal methods of approach with regard to this property. My friend, Pandit Thakur Das, who has given a very elaborate survey of how this Bill or analogous provisions passed through various vicissitudes, drew rather a dark picture with regard to what was in substance described by him as a chain of very dark deeds committed one after the other by the Government at the Centre, in the State or at the level of the various authorities functioning thereunder. I want, however, to remind him and also the House that so far as the ownership of it is concerned, it is public property, of which the House is the principal custodian. We are dealing with people who, on an interpretation of the relevant statutes, on an interpretation of the laws made by Parliament, are in occupation of property where they should not be. I do not want to minimise the hardships of those people, but while paying due regard to their hardships, we should also pay due regard to our duty to the country of ensuring that property which belongs to the entire community is not unnecessarily taken hold of by one individual or another. Some sort of a balance between these two has to be struck, and it was that human touch, that human approach, which was responsible for the provision of those various assurances where it was agreed by the Parliament in their wisdom that although the property vests in the community as a whole, in special cases of hardship, some special thing should be done. That was really a deviation from the normal law. Whereas my friend, Pandit Thakur Das describes the entire measure as an emergency and an exceptional measure, I want to remind him that the type of assurances and the type of circumstances or implications flowing from those assurances themselves were of a very exceptional nature which really took a good part of the big reservoir that was really to be available for the entire community. In this particular case, there is the principle of "first come first served", or any person

could take charge of anything on the principle that possession is nine points in law or on some other basis. This was really the reason for giving that special protection. When protection of a special type is given which deprives the country and the community of something to which they are entitled, that should also be interpreted in a reasonable way. There was hardly any occasion to accuse the Government so bitterly howsoever prejudiced the mind may be—I am not saying that he was prejudiced, but this is how he in his goodness chose to describe himself—in a contingency of this nature, with this background. When a special concession is sought to be shown for considerations which are good and valid, that is, to help the refugees and persons who may be in difficulty, that should be interpreted in the spirit and in the background which I have attempted to place before this hon. House. Farthest be it from me to suggest that we should now try in any way to wriggle out of the assurances that had been given by Shri Gadgil. As Pandit Thakur Das himself pointed out, those assurances related to Ministries more than one. Authorities more than one were involved in them. Constitutional changes took place. Delhi State was constituted as a Part C State. Rehabilitation was transferred as a subject which came within the control of the Delhi State. I remember the occasion when Pandit Thakur Das Bhargava and Shri Tek Chand were present at the meeting. We discussed this point and all of us agreed that, in view of the constitutional changes that had taken place, the Central Ministry would not be competent to take concrete steps for implementing the assurances that were given and that this responsibility should be taken over by the Delhi State Government whose Minister was also present in the meeting and undertook to shoulder that responsibility.

My friend has quoted copiously from the report of the Assurance Committee. I do not want to join

[Sardar Swaran Singh]

issue with regard to factual matters mentioned there. It will be a little unfair to this House if I were to inflict all these details and I were to adopt an attitude of trying to disprove the various things and explain the viewpoints of the Government in the Centre or the local Government, the Improvement Trust or other authorities with regard to the various tentative conclusions arrived at by that Committee. My colleague, the Minister of Parliamentary Affairs, had placed on the Table of the House on 3rd April, 1956, a statement indicating the action taken by the Government on the various assurances that have been given by Shri Gadgil. The Assurances Committee of the House has also taken cognisance of that statement and has asked for further clarification with regard to certain points mentioned there. I am not swearing by every word that might be written there. Nor am I trying, in the present context to contradict all that was said in the Assurances Committee. But, I do want to submit that this is a matter which could not be taken as having been proved against the administration or the Government. The Assurances Committee came to certain tentative conclusions and they were placed before the House. The viewpoint of the Government on those conclusions were also placed before the House. These are being examined by that Committee which has asked for further clarification. We will try to convince them or be convinced; if we find that we have erred in any way, we will try to make amends for that. If that is the attitude of the Government, I put it to the House and to you also, Sir, as to whether all that heat that was there in the speech of Pandit Bhargava was really justified.

My colleague, the Health Minister, has already made a statement that her Ministry will take the necessary administrative steps to constitute the advisory committee which will

advise the Improvement Trust on important matters which are uppermost in the minds of hon. Members who participated in the debate. It will advise the Delhi Improvement Trust in matters of slum clearance with a view to having better and cleaner living conditions to the slum-dwellers. The idea was suitably to improve certain areas and there may not be any case of eviction at all. It will also advise on providing alternative accommodation to persons to be evicted in localities nearabout their present dwellings, as far as possible, namely, what should be the alternative accommodation that should be made available and what should be the principles that should govern the implementation of this assurance and so on.

Shri Feroze Gandhi: How do you define 'nearabout'?

Sardar Swaran Singh: I would define it as an area that might be available near the place where the eviction took place—the area available with the Government or the Improvement Trust or any other authority and suitable for construction of houses of that type—and that would come within the bigger development Plan which the Delhi Development (Provisional Authority) were trying to bring about or which they would approve.

Pandit Thakur Das Bhargava: Three miles or two miles?

Sardar Swaran Singh: It is very difficult to say whether it will be one mile or two miles. After all, if a problem is there, it has to be faced. The other alternative is that we do not do anything.

Pandit Thakur Das Bhargava: Twenty miles of electric railway?

Sardar Swaran Singh: Panditji will recall that I heard every word he uttered with utmost patience and I feel that he should give at least five per cent of that patient hearing when I am on my legs.

The constitution of the advisory committee by the Health Ministry is a sufficient guarantee to ensure that any slum clearance scheme that is undertaken will be implemented in a proper way. The very weighty observations that have been made by the hon. Members, some after cool consideration and others with heat and prejudice, will be taken into consideration by the advisory committee and the Improvement Trust when they chalk out their schemes. So, I submit that we are not really making any radical change in this piece of legislation.

It is a very small point here. The Improvement Trust has already got the authority with regard to land. We are extending it to buildings. Some doubts were expressed with regard to the definition of land. Pandit Bhargava said something about this. 'Land' and 'buildings' have been used as two distinct things in this piece of legislation. It is better that we clarify that with regard to the Improvement Trust. At any rate, that is not a point of substance. They ask: "why are you asking for the inclusion of the buildings? Land already covers buildings." If it already covers buildings, there is no harm in clarifying it further. So, I feel that there is no force in the legal objection.

With these observations, I submit that this Bill may be passed.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill further to amend the Government Premises (Eviction) Act, 1950, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Sardar Swaran Singh: There is a verbal amendment to clause 1.

Mr. Deputy-Speaker: That will come up when we take up that clause.

We will take up clause 2, now.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 and 4

Mr. Deputy-Speaker: There are no amendments to clauses 3 and 4. We will take them together.

Shri U. M. Trivedi: Mr. Deputy-Speaker, Sir, the objection which I wish to raise with reference to these clauses 3 and 4 read together is on the change in the definition of the words "public premises". The change that is tried to be effected in the original law is from "Government premises" to "public premises". There was some meaning when the words were "Government premises".

Mr. Deputy-Speaker: Now it includes other premises also.

Shri U. M. Trivedi: That is what I am submitting. When the word "Government" was used as an adjective to the word "premises", it was limited to those premises which actually belonged to Government, which were in some manner Government properties. The extension which is now being desired is this. Even private premises which will be rented for some purpose by the Government will now be included and the Government will have the law in its own favour so far as the question of eviction of tenants from those particular areas is concerned. As I was saying before, and I reiterate it today, the difficulty that will arise in the case of those tenants who have the misfortune of ever becoming the tenants of the Government will be that, whereas if the owner of the premises were to get such a tenant evicted he will have to resort to a particular law and the protection under the various rent restriction Acts of the various States will be available to the tenant if he was the direct tenant of the landlord. . . .

Sardar Swaran Singh: There is an exception. The Rent Control Act

[Sardar Swaran Singh]
does not apply if the Government is the owner of the property.

Shri U. M. Trivedi: That is what I am coming to. If the Government is the owner then it will not apply. But here the Government is not the owner. If the Government has somehow or other requisitioned the premises or has taken the premises on lease, the Government cannot be the owner. My own personal view is, the Government can be the owner and this law will have acted quite nicely if we had concentrated or limited ourselves to the definition which was originally there and the words were "Government premises". Once you drop the words "Government premises" and change it over to "public premises" and the definition that is given in clause 4 comes into the picture, in that case what happens is the original landlord, the owner of the property, if he wants to evict the tenant he cannot evict him because the tenant is protected by the various rent restriction Acts, whereas the Government, once it steps into the picture and becomes a sort of a lessee, is covered by the provision in this Bill and the tenant has got no remedy except that he will have to get out under this new definition of "unauthorised occupation".

As I said before, the "Government premises" should not be extended so far and such a broad definition should not be given to the words "Government premises" as is contemplated in this Bill. It would have been quite proper still to adhere to the words "Government premises" and not deprive an ordinary citizen of the protection of law which has been guaranteed to him.

By this particular definition the Government goes a step further. It has not only included "premises belonging to"—that would be something if the premises belonged to the Government—in the definition of "public premises", but it has also included "premises taken on lease or requisitioned by the Government". When the premises are requisitioned

by the Government, various courts have held that a tenant becomes merely a statutory tenant. If he becomes a statutory tenant, the other terms of tenancy remain with him.

Sardar Swaran Singh: Why should a leased property be given to a private man at all?

Mr. Deputy-Speaker: Even if "leased premises" be excluded, there would have been other properties that cannot be called Government properties. Then too it would not have been only "Government premises" but something else would have been included.

Shri U. M. Trivedi: That is why the words "local authority" have been put in and the Delhi Improvement Trust has also been brought into the picture. In other words, if the buildings belong to a municipality, the municipality will do the same thing and terminate the tenancy. It will simply give a notice of 15 days and ask the tenant to get out.

The words "local authority" have been added. The difficulty is of the ordinary tenant. When the Government is trying to nationalise everything, when the Government is encroaching upon ordinary functions of citizens and is trading in every respect, and when the Government is now constructing buildings after buildings and is renting them out—half of the markets in New Delhi, at any rate, are belonging to the Government and at various places the municipalities are now trying to build their own market places—if this law is to apply, then all those buildings which belong to municipalities will become public premises, and once they become public premises the Transfer of Property Act will go by the board. Under this provision every man will be turned out without having any recourse to the ordinary process of law or protection under the Transfer of Property Act. Where is the good of a tenant having an agreement? Supposing a man has entered into an agreement with you, or he has executed a lease in favour

of the Government, or he is party to an indenture executed by him, then also the Government will say: agreement or no agreement, indenture or no indenture, lease or no lease, here we give notice under this Eviction Act and therefore you will have to go. No sanctity will be attached to an agreement whatsoever and the Transfer of Property Act will be a dead-letter so far as the various buildings now owned by the local authorities—the Delhi Improvement Trust or such bodies like district boards in any part of India—are concerned.

Pandit Thakur Das Bhargava: It is only about Delhi local authorities and not for the whole of India.

Shri U. M. Trivedi: Yes, it is only local authorities in the Delhi State. That means the Delhi Municipality, the New Delhi Municipal Committee, the South Delhi Municipal Committee or other local authorities in the whole of Delhi State. So many villages would be affected and everywhere this power will be utilised with a desire to drive out people. It may be a summary process, no doubt, and it will be to the liking of the Government. We should be very careful in vesting the Government with these powers, which will be really powers of operation.

Sardar Swaran Singh: Sir, we will be careful in exercising these powers. I oppose the objection which the hon. Member has raised.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clauses 3 and 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 5—(Amendment of Section 3 etc.)

Shri N. B. Chowdhury (Ghatal): I beg to move:

Page 2—

after line 14, insert:

"(aa) to sub-section (1) the following shall be added, namely:

'Provided that competent authority makes available to the person or persons such alternative accommodation as is equal in value, rental and convenience to the premises vacated and which does not hinder the person or persons from carrying out their occupations or professions.'

"Sir, while tabling this amendment I had kept in mind the principles laid down in the Second Five Year Plan with regard to the schemes of slum clearance. The first principle there is that there should be the minimum dislocation of slum dwellers and the efforts should be to re-house them as far as possible by or near the existing sites of slums so that they may not be uprooted from their fields of employment. So the necessity of this amendment would be clear from the provisions that the Government themselves have made in the Second Five Year Plan itself.

4 P.M.

In view of the statements made by the Government and in view of the principles that they themselves have laid down, it is very necessary that some statutory provisions are made in the law itself. The speeches of the two Ministers have not convinced us that there is no necessity for such a provision in the law itself. After all, that we have heard from different sections of this House, it is very necessary that there should be some provision in the Bill itself, whereby there could be a guarantee for slum-dwellers for some alternative accommodation. Unless there is some such provision in the Bill itself, we cannot give the Government blanket powers to authorise the local authorities and other bodies to evict the people summarily. I feel that my amendment should be accepted if we are to accept the policy of slum clearance consistent with the principles that have been laid down in the second Five Year Plan.

Sardar Swaran Singh: So far as the principle of providing suitable alternative accommodation is concerned, I would not elaborate that aspect, because my colleague, the Minister of Health, made a very clear statement in that respect.

So far as the present amendment is concerned, I regret I cannot accept it for the obvious reason that if it is accepted, even in a case where a person sublets without the permission of Government or otherwise acts in contravention of any of the terms, express or implied, every time, we have to provide alternative accommodation. Even in the case of the slum evictees, this has to be done. So, the question has to be left to the authority which is in overall charge of the slum clearance operations for deciding as to how best it could be done. Literally construed, this will mean the provision of accommodation which is equal in value, rental and conveniences to the premises evicted. Thus, it will become extremely rigid, and if the question goes to court, there will be interminable proceedings, and nothing will happen. Therefore, I oppose this amendment.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 2—

after line 14, insert:

“(aa) to sub-section (1) the following shall be added, namely:

‘Provided that competent authority makes available to the person or persons such alternative accommodation as is equal in value, rental and convenience to the premises vacated and which does not hinder the person or persons from carrying out their occupations or professions.’”

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill”

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 1.—Short Title
Amendment made:

Page 1, line 4—

for “1955” substitute “1956”.

—[Sardar Swaran Singh]

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1—

for “Sixth Year” substitute “Seventh Year”.

—[Sardar Swaran Singh]

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

Sardar Swaran Singh: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed”.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

“That the Bill, as amended, be passed”.

Shri K. K. Basu: I would like to speak.

Mr. Deputy-Speaker: We have had enough discussion on the Bill, I believe.

Shri K. K. Basu: Even then, if you have no objection, we can speak on the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Then, we will have to postpone the third reading stage to the next day. I shall now call upon Shri L. Jogeswar Singh.